रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-टी.एन.-अ.-24072023-247536
CG-TN-E-24072023-247536

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 511] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 21, 2023/आषाढ़ 30, 1945
No. 511] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 21, 2023/ASHADHA 30, 1945

भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय

अधिसूचना

चेन्नई, 21 जुलाई, 2023

संख्या आईएमयू/एचक्यू/एडीएम/अधिसूचना/2023/01.—भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय अधिनियम, 2008 (2008 का 22) की धारा 47(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सामान्य जानकारी के लिए निम्नलिखित अधिसूचनाएँ प्रकाशित की जाती हैं:

क्रमांक	संविधि/अध्यादेश/अधिसूचना	विवरण	कार्यकारिणी परिषद का संकल्प
1	2023 का अध्यादेश संख्या 1	पीएच.डी अध्यादेश	2018 का ईसी सर्कुलेशन 06 दिनांक 07.12.2018 को 2023 के ईसी सर्कुलेशन 01 दिनांक 10.02.2023 द्वारा संशोधित किया गया।
2	2023 का अध्यादेश संख्या 2	एम.एस (अनुसंधान द्वारा) अध्यादेश	[2018 का ईसी सर्कुलेशन 06 दिनांक 07.12.2018] 2023 दिनांक 10.02.2023 के ईसी सर्कुलेशन संख्या 01 द्वारा संशोधित ।

नोट: इस दस्तावेज़ के अंग्रेजी और हिंदी संस्करण के बीच विसंगति के मामले में, अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा ।

2023 का अध्यादेश 01

[2018 का ईसी सर्कुलेशन 06 दिनांक 07.12.2018 को 2023 के ईसी सर्कुलेशन 01 दिनांक 10.02.2023 द्वारा संशोधित किया गया।]

पीएच.डी (Ph.D) अध्यादेश – पीएच.डी डिग्री प्रदान करने के लिए न्यूनतम मानक और प्रक्रियाएं।

1. **प्रस्तावना**: **डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी** (पीएच.डी) की डिग्री ऐसे उम्मीदवार को प्रदान की जाएगी, जो यहां भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय के निर्धारित नियमों के अनुसार, किसी विशेष विषय या एक से अधिक विषयों (अंतर्विषयक) में मूल और स्वतंत्र अनुसंधान के आधार पर एक अनुसंधान प्रस्तुत करता है, जो ज्ञान की वृद्धि में योगदान देता है और जिसे परीक्षकों के एक निर्मित बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

2. **अनुसंधान के क्षेत्र :** विश्वविद्यालय निम्नलिखित दर्शाए हुए क्षेत्रों में अनुसंधान के लिए सुविधाएं प्रदान करेगा:

a. मरीन इंजीनियरिंग

b. नॉटिकल साइंस

c. नेवल आर्किटेक्चर, शिप बिल्डिंग और शिप ब्रेकिंग

d. ड्रेजिंग और हार्बर इंजीनियरिंग

e. ऑफ शॉर सपोर्ट सर्विस

f. इन लैण्ड वॉटर वैज़, कोस्टल शिपिंग एंड रिवर - सी शिपिंग

g. पोर्ट और शिपिंग मैनेजमेंट

h. लोजिस्टिक्स एंड सप्लाइ चैन मैनेजमेंट

i. मैरीटाइम सिक्युरिटी एंड पायरेसी

j. मैरीटाइम लॉ/ मैरीटाइम इंश्युरन्स

k. इंटर-डिसप्लनेरी एरियाज

l. रीटाइम रिलेटेड एरियाज.

3. परिभाषाएं

(A) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, --

a. “एक्ट" का अर्थ है भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय अधिनियम, 2008 (2008 का 42);

b. "एडजंक्ट फैकल्टी" (सहायक संकाय) का अर्थ पढ़ाने के लिए नियुक्त किया गया पार्ट टाइम (अंशकालिक) या आकस्मिक प्रशिक्षक है, जो संकाय का फुल टाइम (पूर्णकालिक) सदस्य नहीं है;

c. "क्युमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज (सीजीपीए)" का अर्थ सभी सेमेस्टर में स्कॉलर के समग्र संचयी प्रदर्शन का माप। सीजीपीए सभी सेमेस्टर में विभिन्न कोर्सिस (पाठ्यक्रमों) में स्कॉलर द्वारा प्राप्त कुल क्रेडिट अंकों का अनुपात है और सभी सेमेस्टर में सभी कोर्सिस (पाठ्यक्रमों) के कुल क्रेडिट का योग है। इसे दो दशमिक स्थानों तक दिया जाता है;

d. "क्रेडिट" का अर्थ है एक सेमेस्टर की अवधि में प्रति सप्ताह आवश्यक शिक्षण के घंटों की संख्या। एक सेमेस्टर में तीन-क्रेडिट कोर्स का अर्थ है प्रति सप्ताह एक घंटे के तीन लेक्चर, प्रत्येक एक घंटे का एक लेक्चर एक क्रेडिट के रूप में गिना जाता है;

e. “कॉलेज” का अर्थ है महाविद्यालय जो समुद्री अध्यन्न या इससे संबंधित विषयों में शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित या विश्वविधालय के विशेषाधिकारों के लिए स्वीकृत है।;

f. “कोर्स" का अर्थ निर्दिष्ट यूनिट्स में से एक जिसमें अध्ययन का प्रोग्राम शामिल है;

g. "कोर्स वर्क" (पाठ्यक्रम कार्य) का अर्थ है पीएच.डी डिग्री के लिए रजिस्टर्ड स्कॉलर द्वारा किये जाने वाले अध्ययन का पाठ्यक्रम जो स्कूल / विभाग द्वारा निर्धारित होता है;

h. “डिग्री" का अर्थ है आईएमयू या उच्च शिक्षा संस्थान या यूजीसी/एआईसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गई डिग्री;

i. “एक्स्टर्नल एग्ज़ामिनर" (बाहरी परीक्षक) का अर्थ एक शिक्षाविद / अनुसंधान कर्ता जिसका अनुसंधान कार्य प्रकाशित हुआ हो और जो आईएमयू का हिस्सा नहीं है;

j. "फॉरेन एज्यूकैशनल इन्स्टिट्यूशन" (विदेशी शैक्षिक संस्थान) का अर्थ - (i) अपने देश में विधिवत रूप से स्थापित या निगमित संस्थान जो अपने देश में शैक्षिक प्रोग्राम स्नातक, स्नातकोत्तर और उच्च स्तर पर ऑफर करती है और (ii) जो पारंपरिक फेस-टू-फेस मोड के माध्यम से डिग्री प्रदान करने के लिए अध्ययन प्रोग्राम ऑफर करती है, लेकिन डिस्टेंस, ऑनलाइन, ओडीएल मोड की सुविधा प्रदान नहीं करती;

k. "ग्रेड पॉइंट" का अर्थ 10-पॉइंट स्केल पर प्रत्येक लेटर ग्रेड को आवंटित आंकिक मूल्य;

l. "गाइड (मार्गदर्शक)" का अर्थ है जो आईएमयू द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षाविद/अनुसंधानकर्ता जो पीएच.डी करनेवाले स्कॉलर को अनुसंधान में मार्गदर्शन देगा;

m. "इंटर डिसप्लनेरी रिसर्च (अंतर्विषयक अनुसंधान)" का अर्थ है पीएच.डी करने वाले स्कॉलर द्वारा दो या दो से अधिक शैक्षणिक विषयों में अनुसंधान करना;

n. “ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड” का वही अर्थ होगा जो यूजीसी विनियम 2020 के तहत परिभाषित किया गया है;

o. “"ऑनलाइन मोड" का वही अर्थ होगा जो यूजीसी (ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम और ऑनलाइन प्रोग्राम) विनियम 2020 के तहत परिभाषित किया गया है;;

p. “"प्लेगरिज्म" "(साहित्यिक चोरी) का अर्थ है किसी ओर के काम या विचार को लेना और उन्हें अपने स्वयं के रूप में प्रसारित करना;

q. "प्रोग्राम" का अर्थ आईएमयू अधिनियम 2008 द्वारा निर्दिष्ट डिग्री के लिए उच्च शिक्षा कार्यक्रम है;

r. “अकादमिक ब्रोचर" का अर्थ है पुस्तिका, चाहे प्रिंट हो या अन्यथा, जो विश्वविद्यालय द्वारा आम जनता (प्रवेश चाहने वालों सहित) के लिए विश्वविद्यालय के अकादमिक / रिसर्च (अनुसंधान) प्रोग्राम से संबंधित निष्पक्ष और पारदर्शी जानकारी प्रदान करने के लिए जारी किया गया;

s. “रिसर्च प्रपोज़ल" का अर्थ संक्षिप्त लेख, जिसमें प्रस्तावित अनुसंधान कार्य की रूपरेखा दी गई है जिसे पीएच.डी. स्कॉलर पीएच.डी प्रोग्राम में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन के साथ जमा करेंगे;

t. "विश्वविद्यालय" का अर्थ संसद के अधिनियम (अधिनियम 22), 2008 के तहत भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय है।

(B) इन अध्यादेशों में प्रयुक्त और परिभाषित नहीं किए गए लेकिन अधिनियम में परिभाषित है और इन अध्यादेशों के अनुरूप नहीं होने वाले शब्दों और अभिव्यक्तियों का अर्थ उस अधिनियम में नियत किया जाएगा।

4. **पीएच.डी. प्रोग्राम में प्रवेश के लिए योग्यता मानदंड**:

उम्मीदवार जिन्होंने पूरा किया है:

a. 4-वर्षीय/8-सेमेस्टर स्नातक डिग्री प्रोग्राम के बाद 1-वर्ष/2-सेमेस्टर मास्टर डिग्री प्रोग्राम या 3-वर्षीय स्नातक डिग्री प्रोग्राम के बाद 2-वर्षीय/4-सेमेस्टर मास्टर डिग्री प्रोग्राम या संबंधित वैधानिक नियामक संस्था द्वारा घोषित मास्टर डिग्री के समकक्ष योग्यता।

अथवा

b. निर्धारण और प्रत्यायन एजेंसी द्वारा मान्यताप्राप्त विदेशी शैक्षणिक संस्थान से समकक्ष योग्यता जो एक प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित हो, मान्यता प्राप्त हो या अधिकृत है और अपने देश में कानून के तहत स्थापित या निगमित हो या उस देश में कोई अन्य वैधानिक प्राधिकरण के द्वारा शैक्षिक संस्थान की गुणवत्ता और मानकों का मूल्यांकन और मान्यता सुनिश्चित किया गया हो।

अथवा

c. 4-वर्षीय/8 - सेमेस्टर स्नातक डिग्री प्रोग्राम में न्यूनतम 75% अंकों के साथ या इसके समकक्ष ग्रेड जो पॉइंट स्केल पर जहां भी ग्रेडिंग स्केल का पालन किया जाता है।

अथवा

d. आईएमयू द्वारा एम.एस (अनुसंधान द्वारा) प्रदान किया गया हो।

अथवा

e. आईएमयू / आईएमयू संबद्ध संस्थानों / नौवहन महानिदेशालय से अनुमोदित संस्थानों में संकाय के रूप में डिग्री स्तर पर 2 साल के शिक्षण अनुभव के साथ मास्टर / एमईओ क्लास I योग्यता प्रमाणपत्र के साथ या पीजीडीएमओएम योग्यता के साथ मैरिनर (नाविक) भी पीएच.डी प्रोग्राम के लिए पात्र हैं। यह मानदंड शैक्षणिक वर्ष 2023-24 तक या कुलपति द्वारा तय किए गए अनुसार लागू होगा।

अन्यथा जब तक निर्दिष्ट न किया जाए, स्नातक और मास्टर डिग्री में उम्मीदवार को कुल अंक में या इसके समकक्ष ग्रेड में जहां भी ग्रेडिंग प्रणाली का पालन किया जाता है, कम से कम 55% अंक प्राप्त करने चाहिए। भारत सरकार द्वारा समय-समय पर लिए जाने वाले निर्णयों के अनुसार अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन-क्रिमी लेयर) / विकलांग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) और अन्य श्रेणियों के उम्मीदवारों को 5% *अंक या इसके समकक्ष ग्रेड की छूट की अनुमति दी जा सकती है।*

5. **प्रोग्राम की अवधि:**

a. पीएच.डी. प्रोग्राम कोर्स वर्क सहित कम से कम तीन (3) वर्ष की अवधि का होगी और अधिकतम पीएच.डी. प्रोग्राम में प्रवेश की तारीख से छह (6) वर्ष की अवधि की होगी।

b. समय-समय पर जारी आईएमयू के प्रशासनिक आदेश के अनुसार पुन: रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से अधिकतम दो (2) वर्ष की अतिरिक्त छूट दी जा सकती है; बशर्ते, कि पीएच.डी प्रोग्राम पूरी करने की कूल अवधि, पीएच.डी प्रोग्राम में प्रवेश की तारीख से आठ (8) वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

बशर्ते कि, महिला पीएच.डी. और विकलांग व्यक्तियों (40% से अधिक विकलांगता वाले) को दो (2) वर्ष की अतिरिक्त छूट की अनुमति दी जा सकती है; हालाँकि, पीएच.डी प्रोग्राम पूरी करने की कुल अवधि ऐसे मामलों में पीएच.डी प्रोग्राम में प्रवेश की तारीख से दस (10) वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

c. महिला पीएच.डी. स्कोलर्स को पीएच.डी प्रोग्राम की पूरी अवधि में 240 दिनों तक के लिए मातृत्व छुट्टी/बाल देखभाल के लिए छुट्टी प्रदान किया जा सकता है।

6. **प्रवेश प्रक्रिया**:

a. विश्वविद्यालय द्वारा अधिसूचित मानदंडों और समय-समय पर सरकार की आरक्षण नीति को ध्यान में रखते हुए प्रवेश दिया जाएगा ।

b. निम्नलिखित तरीको से पीएच.डी प्रोग्राम में प्रवेश दिया जाएगा:

(i) **लिखित परीक्षा** के माध्यम से स्कोलर्स का प्रवेश होगा । **लिखित परीक्षा** के पाठ्यक्रम में 50% अनुसंधान पद्धति और 50% विशिष्ट विषय शामिल होंगे।

अथवा

(ii) आईएमयू उन स्कोलर्स को प्रवेश दे सकता है जो यूजीसी-नेट/यूजीसी- सीएसआईआर नेट/स्लेट/गेट/सीड/ और **इंटरव्यू** के आधार पर समान राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में फेलोशिप/स्कॉलर वृत्ति के लिए अर्हता प्राप्त करते हैं।

c. जिन स्कोलर्स ने लिखित परीक्षा में कम से कम 50% अंक प्राप्त किए हैं, वे **इंटरव्यू** के लिए बुलाए जाने के योग्य हैं।

d. भारत सरकार द्वारा समय-समय पर लिए जाने वाले निर्णयों के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग / अलग-अलग विकलांग वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) और अन्य श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए **लिखित परीक्षा** में 5% अंकों की छूट दी जाएगी।

e. आईएमयू उपलब्ध पीएच.डी सीटों की संख्या के आधार पर **इंटरव्यू** के लिए बुलाए जाने वाले योग्य स्कोलर्स की संख्या तय कर सकता है।

f. बशर्ते कि आईएमयू द्वारा आयोजित **लिखित परीक्षा** के आधार पर उम्मीदवारों के चयन के लिए **लिखित परीक्षा** के अंको के लिए 70% और **इंटरव्यू** में प्रदर्शन के लिए 30% का वेटेज दिया जाएगा।

g. कोमन रैंक लिस्ट के लिए, राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा (जहां अंक प्रदान नहीं किए जाते और केवल योग्य है या नहीं वह दर्शाया जाता है) के उम्मीदवार को **लिखित परीक्षा** के लिए पूर्ण वेटेज अर्थात 70% दिया जाएगा।

h. **इंटरव्यू** का आयोजन विभागीय कमेटी द्वारा किया जाएगा।[1].

i. विभागीय कमेटी रैंक लिस्ट सुनिणीर्त करेगी।

7. **रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन**। प्रवेश प्रक्रिया (अनंतिम प्रवेश के उम्मीदवार को सूचना) के पूरा होने की तारीख से एक महीने के भीतर शैक्षणिक वर्ष के दौरान शामिल होने की तारीख के बावजूद, उम्मीदवार को पीएच.डी प्रोग्राम में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन के साथ पूरे शैक्षणिक वर्ष की निर्धारित शुल्क जमा करना होगा। यदि निर्धारित वार्षिक शुल्क निर्धारित समय के भीतर भुगतान नहीं किया जाता है तो अनंतिम चयन/रजिस्ट्रीकरण रद्द हो जाएगा ।

8. मार्गदर्शक का निर्धारण । मार्गदर्शक, सह-मार्गदर्शक की योग्यता मानदंड, प्रति मार्गदर्शक के तहत पीएच.डी (अनुसंधान द्वारा) स्कॉलर्स की स्वीकृत संख्या ।

a. आईएमयू के स्थायी संकाय सदस्यों जिनके पास पीएच.डी डिग्री है और जो प्राध्यापक/सह-प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक के रूप में कार्यरत है उनको मार्गदर्शक के रूप में मान्यता दी जा सकती है। ऐसे मान्यता प्राप्त करने वाले मार्गदर्शक अन्य संस्थानों में स्कॉलर्स को मार्गदर्शन नहीं कर सकते है, वहा वे केवल सह-मार्गदर्शक के रूप में कार्य कर सकते हैं।

केंद्र सरकार/राज्य सरकार के अनुसंधान संस्थानों में कार्यरत पीएच.डी स्कॉलर्स के लिए ऐसे अनुसंधान संस्थानों के वैज्ञानिक जो प्राध्यापक/सह-प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक के समकक्ष हैं, यदि वे आईएमयू दिशानिर्देशों को पूरा करते हैं तो उन्हें बाहरी मार्गदर्शक के रूप में मान्यता दी जा सकती है।

संकाय जो अन्य केंद्रीय / राज्य विश्वविद्यालयों, स्वायत्त शैक्षिक/अनुसंधान संस्थानों, आईआईटी, एनआईटी, आईआईएम या आईएमयू के संबद्ध संस्थानों से दो साल का शिक्षण अनुभव है और जिनके पास पीएच.डी. डिग्री है और जो यूजीसी अनुमोदित पत्रिकाओं में कम से कम एक अनुसंधान पत्र प्रकाशित किया हो, उसे बाहरी परीक्षक (एक्स्टर्नल एग्ज़ामिनर)के रूप में मान्यता दी जा सकती है।

बशर्ते कि उन क्षेत्रों/विषयों में जहां कोई सहकर्मी - समीक्षित या संदर्भित पत्रिकाएं नहीं हैं, या केवल सीमित संख्या में हैं, तो आईएमयू किसी व्यक्ति को मार्गदर्शक के रूप में मान्यता देने के लिए उपरोक्त शर्तों में लिखित कारणों से छूट दे सकता है।

एक ही विभाग या आईएमयू के अन्य विभागों या अन्य संस्थानों के सह-गाइडो को सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से अनुमति दी जा सकती है।

सहायक संकाय मार्गदर्शक के रूप में कार्य नहीं करेंगे और केवल सह-मार्गदर्शक के रूप में कार्य कर सकते है।

b. अंतर्विषयक/बहुविषयक अनुसंधान कार्य के मामले में, यदि आवश्यक हो, तो विभाग/विद्यालय/विश्वविद्यालय के बाहर के सह-मार्गदर्शक को नियुक्त किए जा सकता हैं।

c. एक योग्य प्राध्यापक/सह-प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक किसी भी समय क्रमशः आठ (8)/छह (6)/चार (4) पीएचडी स्कोलर्स का मार्गदर्शन कर सकता है।

d. संकाय सदस्य जिसके पास तीन वर्ष से भी कम समय है सेवा-निवृत्ति के लिए उन्हें नए अनुसंधान करने वाले स्कोलर्स को मार्गदर्शन देने की अनुमति नहीं होगी। हालांकि, ऐसे संकाय सदस्य सेवानिवृत्ति तक पहले से ही रजिस्टर्ड पीएच.डी स्कोलर्स को मार्गदर्शन देना जारी रख सकते हैं और सेवानिवृत्ति के बाद सह-मार्गदर्शक के रूप में कार्यरत कर सकेंगे , लेकिन 70 वर्ष की आयु के बाद कार्यरत नहीं कर सकते है ।

e. विश्वविद्यालय उनके द्वारा स्वीकृत पीएच.डी स्कॉलर्स के विवरण (रजिस्टर्ड पीएचडी स्कॉलर का नाम, अनुसंधान का विषय और प्रवेश तारीख निर्दिष्ट करते हुए) के साथ पीएच.डी मार्गदर्शक (मार्गदर्शक का नाम, पदनाम और विभाग/स्कूल का नाम निर्दिष्ट करते हुए की एक लिस्ट वेबसाइट पर बनाए रखेगा।

9. **पीएच.डी प्रोग्राम में अंतर्राष्ट्रीय स्कॉलर्स का प्रवेश**:

---

[1]विभाओ\गीय समिति के संबंध में दिशा-निर्देश कुलपति के अनुमोदन से प्रशासनिक आदेश के माध्यम से जारी किया जाएगा।

[2]मार्गदर्शक/सह-मार्गदर्शक (आंतरिक/बाह्य) पर लागू होने वाले दिशा-निर्देश कुलपति के अनुमोदन से जारी किए जाएंगे।

a. ऊपर खण्ड 8.सी में निर्दिष्ट पीएच.डी स्कॉलर्स की अनुमत संख्या के अलावा प्रत्येक मार्गदर्शक अधिसंख्य आधार पर अधिकतम दो अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान स्कॉलर्स का मार्गदर्शन कर सकता है।

b. अंतर्राष्ट्रीय स्कॉलर्स के पीएच.डी में प्रवेश के लिए आईएमयू अपनी चयन प्रक्रिया स्वयं तय कर सकता है।

10. किसी भी समय, एक संकाय सदस्य के तहत पीएच.डी स्कॉलर्स की कुल संख्या, या तो एक मार्गदर्शक या सह-मार्गदर्शक के रूप में, खण्ड 8.सी और खण्ड 9.ए में निर्धारित संख्या से अधिक नहीं होगी।

11. कोर्स वर्क - क्रेडिट आवश्यकताएं, संख्या, पूरा करने के लिए न्यूनतम मानक.

a. कोर्स वर्क के लिए क्रेडिट की आवश्यकता कम से कम 12 क्रेडिट है, जिसमें रिसर्च (अनुसंधान) और पब्लिकेशन एथिक्स (प्रकाशित नैतिकता) और रिसर्च मेथोडोलॉजी (अनुसंधान प्रणाली) कोर्स शामिल हैं। पीएच.डी प्रोग्राम के लिए क्रेडिट आवश्यकताओं के हिस्से के रूप में डॉक्टरेट कमेटी यूजीसी मान्यता प्राप्त ऑनलाइन कोर्स की भी सिफारिश कर सकती है।

b. सभी पीएच.डी स्कॉलर, चाहे वे किसी भी विषय के क्यों न हो, अपने डॉक्टरेट अवधि के दौरान अपने चुने हुए पीएच.डी विषय से संबंधित शिक्षण/शिक्षा/शिक्षाशास्त्र/लेखन में प्रशिक्षित होने की आवश्यकता होगी। पीएच.डी स्कॉलर्स को पढ़ाना/रिसर्च असिस्टेंटशिप (अनुसंधान प्रशिक्षण), ट्यूटोरियल (अनुशिक्षण) का आयोजन करना या प्रयोगशाला का कार्य या मूल्यांकन करने के लिए भी नियुक्त किया जा सकता है।

c. पीएच.डी. स्कॉलर को प्रोग्राम में रहने और अपनी थीसिस जमा करने के योग्य बनने के लिए न्यूनतम 55% अंक या इसके समकक्ष ग्रेड प्राप्त करना होगा।

12. डॉक्टरेट कमेटी और उनके कार्य

a. प्रत्येक पीएच.डी स्कॉलर के लिए एक डॉक्टरेट कमेटी (डीसी) होगी। पीएचडी स्कॉलर के संबंधित मार्गदर्शक कमेटी के अध्यक्ष होंगे। डीसी की निम्नलिखित जिम्मेदारियां होंगी:

(i) अनुसंधान प्रस्ताव (रिसर्च प्रपोज़ल) की समीक्षा करना और अनुसंधान के विषय को सुनिश्चित करना।

[3]सहायक संकाय/प्राध्यापक के रूप में क्षेत्र/विषय विशेषज्ञों की नियुक्ति के लिए दिशा-निर्देश और विशिष्ट मानदंड कुलपति के अनुमोदन से जारी किए जाएंगे।

[4]मार्गदर्शक/सह-मार्गदर्शक (आंतरिक/बाह्य) पर लागू होने वाले दिशा-निर्देश कुलपति के अनुमोदन से जारी किए जाएंगे।

[5]पाठ्यक्रम कार्य विवरण की संरचना, कोर्स वर्क के लिए संकाय (संकाय) का निर्धारण, क्रेडिट, मूल्यांकन प्रक्रिया, व्यापक परीक्षा का संचालन, सेमिनार प्रेज़न्टेशन, प्रकाशन, सिनाप्सिस और थीसिस जमा करने के लिए दिशानिर्देश कुलपति के अनुमोदन से जारी किए जाएंगे।

[6]कार्य का परिमाण निर्धारित करने के लिए कुलपति के अनुमोदन से दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे।

(ii) अध्ययन डिजाइन और अनुसंधान की प्रणाली विकसित करने में और कोर्स की पहचान करने में पीएच.डी.स्कॉलर को मार्गदर्शन देंगे।

(iii) पीएच.डी स्कॉलर के अनुसंधान कार्य की प्रगति की समय-समय पर समीक्षा करना और सहायता करना।

b. प्रत्येक सेमेस्टर,पीएच.डी. स्कॉलर डीसी के समक्ष एक प्रस्तुति देने के लिए उपस्थित होगा और मूल्यांकन और आगे के मार्गदर्शन के लिए कार्य की प्रगति पर एक संक्षिप्त रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। डीसी विश्वविद्यालय को स्कॉलर की प्रगति रिपोर्ट की एक प्रति के साथ अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेंगे। निर्धारित फार्मेट में कार्यप्रणाली की एक प्रति पीएच.डी. स्कॉलर को उपलब्ध कराई जाएगी।

c. अगर पीएच.डी स्कॉलर की प्रगति असंतोषजनक है तो ऐसे मामलो में, डीसी इसके कारणों को रिकॉर्ड करेगा और सुधारात्मक उपायों का सुझाव देगा। अगर पीएच.डी. स्कॉलर इन सुधारात्मक उपायों को लागू करने में विफल रहता है, तो डीसी विशिष्ट कारणों से, पीएच.डी प्रोग्राम में से स्कॉलर का रजिस्ट्रीकरण को रद्द करने की सिफारिश कर सकता है।

13. डिग्री प्रदान करने के लिए मूल्यांकन और आकलन के तरीके, न्यूनतम मानक/क्रेडिट

a. कोर्स वर्क के संतोषजनक समापन पर और उपरोक्त खण्ड 11 (सी) में निर्धारित अंक / ग्रेड प्राप्त करने पर,पीएच.डी. स्कॉलर को अनुसंधान कार्य करने और अनुसंधान प्रबंध/थीसिस का फार्मेट तैयार करने की आवश्यकता होगी।

b. थीसिस जमा करने से पहले, पीएच.डी. स्कॉलर विश्वविद्यालय की डॉक्टरेट कमेटी के समक्ष एक प्रस्तुति देगा, जिसमें सभी संकाय सदस्य और अन्य शोधार्थियों/ स्कॉलर्स भी उपस्थित रह सकते है ।

c. विश्वविद्यालय के पास अनुसंधान कार्य में प्लेगरिज्म (साहित्यिक चोरी) का पता लगाने के लिए अच्छी तरह से विकसित सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों का उपयोग करने वाला एक तंत्र होना चाहिए और अनुसंधान ईमानदारी सभी अनुसंधान गतिविधियों का एक अभिन्न अंग है जो पीएच.डी डिग्री प्रदान करने के लिए अग्रणी होगा।

d. पीएच.डी स्कॉलर थीसिस को मूल्यांकन के लिए प्रस्तुत करेगा, साथ में (a) पीएच.डी स्कॉलर के पास से एक उपक्रम लेगा कि कोई प्लेगरिज्म नहीं है और (b) थीसिस की मौलिकता को प्रमाणित करने के लिए मार्गदर्शक से एक प्रमाण पत्र लेगा की किसी अन्य उच्च शिक्षा संस्थान से अन्य डिग्री/डिप्लोमा को प्राप्त करने के लिए ये थीसिस प्रस्तुत नहीं किया गया है।

e. पीएच.डी स्कॉलर द्वारा प्रस्तुत पीएच.डी थीसिस का मूल्यांकन कम से कम दो बाहरी परीक्षकों (एक्सटर्नल एक्सामिनर्स) द्वारा किया जाएगा जो क्षेत्र के विशेषज्ञ होंगे और विश्वविद्यालय में कार्यरत नहीं हैं। ऐसे परीक्षक जो शैक्षणिक या क्षेत्र के विशेषज्ञ होने चाहिए, जिनका क्षेत्र में स्कोलर्स के प्रकाशनों का अच्छा रिकॉर्ड हो। जहां भी संभव हो, बाहरी परीक्षकों (एक्सटर्नल एक्सामिनर्स) में से एक को भारत के बाहर से चुना जाना चाहिए। वाइवा वॉयस (मौखिक परीक्षा) बोर्ड में मार्गदर्शक और कम से कम दो बाहरी परीक्षकों (एक्सटर्नल एक्सामिनर्स) में से एक शामिल होगा। मौखिक परीक्षा दौरान डॉक्टरेट कमेटी/संकाय सदस्य/अनुसंधान स्कॉलर और छात्र भी उपस्थित रह सकते है ।

f. थीसिस के बचाव में स्कॉलर की मौखिक परीक्षा आयोजित की जाएगी यदि दोनों बाहरी परीक्षक (एक्सटर्नल एक्सामिनर्स) द्वारा सुझाए गए किसी भी सुधार को समाविष्ट करने के बाद थीसिस को स्वीकार करने की सिफारिश करते हैं। बाहरी परीक्षकों में से अगर कोई एक अस्वीकृति का सुझाव देता है, तो विश्वविद्यालय थीसिस को परीक्षकों के अनुमोदित पैनल से एक वैकल्पिक बाहरी परीक्षक को भेजेगा और मौखिक परीक्षा केवल तभी आयोजित की जाएगी जब वैकल्पिक परीक्षक थीसिस की स्वीकृति की सिफारिश करेगा। यदि वैकल्पिक परीक्षक थीसिस की स्वीकृति की सिफारिश नहीं करता है, तो थीसिस को अस्वीकार कर दिया जाएगा और स्कॉलर को पीएचडी डिग्री प्रदान करने के अयोग्य है ऐसा घोषित किया जाएगा।

g. थीसिस जमा करने की तारीख से छह (6) महीने की अवधि के भीतर विश्वविद्यालय मौखिक परीक्षा का परिणाम की घोषणा सहित थीसिस के मूल्यांकन की पूरी प्रक्रिया को पूरा करेगा।

14. पीएच.डी. पार्ट - टाइम मोड के माध्यम

a. पार्ट टाइम मोड के माध्यम से पीएच.डी प्रोग्राम की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते इन विनियमों में निर्धारित सभी शर्तें पूरी की गई हों।

b. उम्मीदवार - **नाविकों के अलावा** - पार्ट टाइम पीएच.डी प्रोग्राम के लिए उम्मीदवार को उस संगठन में उपयुक्त प्राधिकारी से "अनापत्ति प्रमाणपत्र" (एनओसी) जमा करना होगा जहां उम्मीदवार कार्यरत है।

** नाविकों के लिए श्रेणी और आवश्यकताएं**

#	श्रेणी	एनओसी की आवश्यकता
1	बिना रोजगार के नाविक	छूट प्राप्त
2	समुद्र में जाने वाला नाविक	छूट प्राप्त
3	रोजगार करने वाला नाविक	एनओसी अनिवार्य है
4	के आलावा रोजगार करने वाला	एनओसी अनिवार्य है
5	नाविक के अलावा बिना रोजगार वाला	फुलटाइम पीएच.डी. ही विकल्प है

** नाविकों का अर्थ समुद्री नाविक जिसके पास मास्टर/एमईओ क्लास I योग्यता प्रमाणपत्र या पीजीडीएमओएम योग्यता हैं।

---

[7]**अतिरिक्त उत्तरदायित्वों सहित डॉक्टरेट कमेटी के सदस्यों के नामांकन के लिए दिशा-निर्देश कुलपति के अनुमोदन से जारी किए जाएंगे।**

[8]**अधिनिर्णयन प्रक्रियाओं, परीक्षकों के पैनल, मूल्यांकन, पुनर्मूल्यांकन, सिफारिश के लिए प्रारूप, लोक रक्षा (पब्लिक डिफेन्स) का आयोजन करना और पीएचडी डिग्री प्रदान करने के लिए दिशानिर्देश कुलपति के अनुमोदन से जारी किए जाएंगे।**

[9]**फूल टाइम रजिस्ट्रीकरण में से पार्ट टाइम और उसके विपरीत परिवर्तित करने के लिए दिशानिर्देश कुलपति के अनुमोदन से एक प्रशासनिक आदेश द्वारा जारी किए जाएंगे।**

15. **अनंतिम प्रमाण पत्र जारी करना।** पीएच.डी डिग्री प्रदान करने से पहले विश्वविद्यालय इस आशय का एक अनंतिम प्रमाण पत्र जारी करेगा कि पीएच.डी. अध्यादेश के प्रावधानों के तहत दिया जा रहा है।

16. थीसिस का प्रकाशन:

a. विश्वविद्यालय की पूर्व अनुमति के साथ ही थीसिस प्रकाशित किया जा सकता है।

b. डिग्री प्रदान करने के बाद ही थीसिस के प्रकाशन की अनुमति मांगी जानी चाहिए। विश्वविद्यालय ऐसी शर्तों के तहत थीसिस के प्रकाशन की अनुमति दे सकता है जो वह उचित समझे।

17. इंफ्लिबनेट के साथ निक्षेपागार: मूल्यांकन प्रक्रिया के सफल समापन के बाद और पीएच.डी डिग्री (ओं) प्रदान करने की घोषणा से पहले, विश्वविद्यालय पीएच.डी थीसिस की एक इलेक्ट्रॉनिक प्रति इंफ्लिबनेट को प्रस्तुत करेंगा ताकि इसे सभी उच्च शैक्षणिक संस्थानों और अनुसंधान संस्थानों के लिए सुलभ बनाया जा सके।

18. रजिस्ट्रीकरण रद्द करना: निम्नलिखित में से किसी भी कारण से स्कॉलर का रजिस्ट्रीकरण रद्द किया जा सकता है:

a. यदि स्कॉलर जारी पीएच.डी प्रोग्राम से निकलना/ पीछे हटना चाहता है;

b. यदि डीसी कमेटी लगातार दो चेतावनियों के बावजूद स्कॉलर की प्रगति संतोषजनक नहीं पाती है;

c. यदि स्कॉलर प्रोग्राम जारी रखने के लिए निर्धारित समय के भीतर वार्षिक शुल्क का भुगतान करने में विफल रहता है;

d. यदि स्कॉलर किसी भी शैक्षणिक कदाचार में शामिल पाया जाता है, जिसमें (लेकिन यह सीमित नहीं है), परिणामों का निर्माण, प्लेगरिज्म (साहित्यिक चोरी), शैक्षणिक बेईमानी के अन्य रूप भी शामिल हो सकते हैं।

19. **कठिनाइयों का निवारण**: पूर्वोक्त नियमों की व्यापकता के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, अनुसंधान अध्ययन बोर्ड के पास इस अध्यादेश की तारीख से पांच साल की अवधि के लिए, किसी भी कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति होगी, जो पिछले अध्यादेश के बदलाव के दौरान उत्पन्न हुई हो या अध्यादेश को लागू करने के दौरान उत्पन्न हो सकती है।

20. उपरोक्त खण्डों के अतिरिक्त निम्नलिखित खण्ड कुलपति के अनुमोदन से प्रशासनिक आदेश द्वारा संचालित किये जायेंगे:

a. अन्य विश्वविद्यालयों से आईएमयू और आईएमयू से अन्य विश्वविद्यालयों में प्रवासन / स्थानांतरण।

b. इंटीग्रेटेड पीएच.डी. प्रोग्राम।

नोट 1: राजपत्र संख्या 62 दिनांक 13.02.2019 में प्रकाशित 2018 का अध्यादेश 30 इसके द्वारा निरस्त किया जाता है।

नोट 2: इंटीग्रेटेड पीएच.डी. बीआरएस-2021-परिसंचरण संख्या 2, ईसी-2021-61-23 के दिशानिर्देश इसके द्वारा निरस्त किए जाते हैं

2023 का अध्यादेश 02

[2018 का ईसी सर्कुलेशन 06 दिनांक 07.12.2018 को 2023 के ईसी सर्कुलेशन नंबर 01 दिनांक 10.02.2023 द्वारा संशोधित किया गया।] **एम.एस (अनुसंधान द्वारा) अध्यादेश - एमएस (अनुसंधान द्वारा) प्रोग्राम के लिए न्यूनतम मानक और प्रक्रियाएं**

1. **प्रस्तावना**:- एम.एस (अनुसंधान द्वारा) की डिग्री एक ऐसे उम्मीदवार को प्रदान की जाएगी, जो यहां भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय के निर्धारित नियमों के अनुसार, किसी विशेष विषय या एक से अधिक विषयों (अंतर्विषयक) में मूल और स्वतंत्र अनुसंधान के आधार पर एक अनुसंधान प्रस्तुत करता है, जो ज्ञान की वृद्धि में योगदान देगा और जिसे परीक्षकों के एक निर्मित बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

2. **अनुसंधान के क्षेत्र :** विश्वविद्यालय निम्नलिखित दर्शाए हुए क्षेत्रों में अनुसंधान के लिए सुविधाएं प्रदान करेगा:

a. मरीन इंजीनियरिंग

b. नॉटिकल साइंस

c. नेवल आर्किटेक्चर, शिप बिल्डिंग और शिप ब्रेकिंग

d. ड्रेजिंग और हार्बर इंजीनियरिंग

e. ऑफ शॉर सपोर्ट सर्विस

f. इन लैण्ड वॉटर वैज़, कोस्टल शिपिंग एंड रिवर - सी शिपिंग

g. पोर्ट और शिपिंग मैनेजमेंट

h. लोजिस्टिक्स एंड सप्लाइ चैन मैनेजमेंट

i. मैरीटाइम सिक्युरिटी एंड पायरेसी

j. मैरीटाइम लॉ/ मैरीटाइम इंश्युरन्स

k. इंटर-डिसप्लनेरी एरियाज `

l. मैरीटाइम रिलेटेड एरियाज

3. परिभाषाएं

(A) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

a. "एक्ट" का अर्थ है भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय अधिनियम, 2008 (2008 का 42)

b. "एडजंक्ट फैकल्टी" (सहायक संकाय)का अर्थ पढ़ाने के लिए नियुक्त किया गया पार्ट टाइम (अंशकालिक) या आकस्मिक प्रशिक्षक है, जो संकाय" का फुल टाइम (पूर्णकालिक) सदस्य नहीं है;

c. "क्युमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज (सीजीपीए)" का अर्थ सभी सेमेस्टर में स्कॉलर का समग्र संचयी प्रदर्शन का माप। सीजीपीए सभी सेमेस्टर में विभिन्न कोर्सिस (पाठ्यक्रमों) में स्कॉलर द्वारा प्राप्त कुल क्रेडिट अंकों का अनुपात है और सभी सेमेस्टर में सभी कोर्सिस के कुल क्रेडिट का योग है। इसे दो दशमिक स्थानों तक दिया जाता है;

d. "क्रेडिट" का अर्थ है एक सेमेस्टर की अवधि में प्रति सप्ताह आवश्यक शिक्षण के घंटों की संख्या। एक सेमेस्टर में तीन-क्रेडिट कोर्स का अर्थ है प्रति सप्ताह एक घंटे के तीन लेक्चर, प्रत्येक एक घंटे का एक लेक्चर एक क्रेडिट के रूप में गिना जाता है;

e. "कॉलेज" का अर्थ है महाविद्यालय जो समुद्री अध्यन्न या इससे संबंधित विषयों में शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित या विश्वविधालय के विशेषाधिकारों के लिए स्वीकृत है।;

f. "कोर्स" का अर्थ निर्दिष्ट यूनिट्स में से एक जिसमें अध्ययन का प्रोग्राम शामिल है;

g. "कोर्स वर्क" (पाठ्यक्रम कार्य) का अर्थ है एम.एस. (अनुसंधान द्वारा) प्रोग्राम के लिए रजिस्टर्ड स्कॉलर द्वारा किये जाने वाले अध्ययन के पाठ्यक्रम जो स्कूल / विभाग द्वारा निर्धारित होता है;

h. "डिग्री" का अर्थ है आईएमयू या उच्च शिक्षा संस्थान या यूजीसी/एआईसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गई डिग्री;

i. "एक्स्टर्नल एक्सएमिनेर" (बाहरी परीक्षक) का अर्थ एक शिक्षाविद/ अनुसंधान कर्ता जिसका अनुसंधान कार्य प्रकाशित हुआ हो और जो आईएमयू का हिस्सा नहीं है;

j. "फॉरेन एज्यूकैशनल इन्स्टिटूशन" (विदेशी शैक्षिक संस्थान) का अर्थ:-

(i) अपने देश में विधिवत रूप से स्थापित या निगमित संस्थान जो अपने देश में शैक्षिक प्रोग्राम स्नातक, स्नातकोत्तर और उच्च स्तर पर ऑफर करती है और

(ii) जो पारंपरिक फेसफेस मोड के माध्यम से डिग्री प्रदान करने के लिए अध्ययन प्रोग्राम ऑफर करती है-टू-, लेकिन डिस्टेंस, ऑनलाइन, ओडीएल मोड की सुविधा प्रदान नहीं करती;

k. "ग्रेड पॉइंट का अर्थ "10-पॉइंट स्केल पर प्रत्येक लेटर ग्रेड को आवंटित आंकिक मूल्य;

l. "गाइड अनुसंधानकर्ता जो/का अर्थ है जो आईएमयू द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षाविद "(मार्गदर्शक)एम.एस (अनुसंधान द्वारा) करनेवाले स्कॉलर को अनुसंधान में मार्गदर्शन(देखरेख) देगा;

m. "इंटर डिसप्लनेरी रिसर्च (अंतर्विषयक अनुसंधान)" का अर्थ है पीएच.डी/इम.एस(अनुसंधान द्वारा) करने वाले

स्कॉलर द्वारा दो या दो से अधिक शैक्षणिक विषयों में अनुसंधान करना;

n. "ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड" का वही अर्थ होगा जो यूजीसी विनियम 2020 के तहत परिभाषित किया गया है;

o. "ऑनलाइन मोड" का वही अर्थ होगा जो यूजीसी (ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम और ऑनलाइन प्रोग्राम) विनियम 2020 के तहत परिभाषित किया गया है;

p. "प्लेगरिज्म "(साहित्यिक चोरी) का अर्थ है किसी ओर के काम या विचार को लेना और उन्हें अपने स्वयं के रूप में प्रसारित करना;

q. "प्रोग्राम का अर्थ आईएमयू अधिनियम "2008 द्वारा निर्दिष्ट डिग्री के लिए उच्च शिक्षा कार्यक्रम है;

r. "अकादमिक ब्रोचर" का अर्थ है पुस्तिका, चाहे प्रिंट में हो या अन्यथा, जो विश्वविद्यालय द्वारा आम जनता (प्रवेश चाहने वालों सहित) के लिए विश्वविद्यालय के अकादमिक / रिसर्च (अनुसंधान) प्रोग्राम से संबंधित निष्पक्ष और पारदर्शी जानकारी प्रदान करने के लिए जारी किया गया;

s. "रिसर्च प्रपोज़ल ,का अर्थ संक्षिप्त लेख "जिसमें प्रस्तावित अनुसंधान कार्य की रूपरेखा दी गई है जिसे एम.एस (अनुसंधान द्वारा) .स्कॉलर एम.एस (अनुसंधान द्वारा) प्रोग्राम में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन के साथ जमा करेंगे;

t. "स्कॉलर/स्कॉलर्स" का अर्थ है आईएमयू के एम एस (अनुसंधान द्वारा) स्कॉलर ।

u. "विश्वविद्यालय" का अर्थ संसद के अधिनियम (अधिनियम 22), 2008 के तहत भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय है

(B) इन अध्यादेशों में प्रयुक्त और परिभाषित नहीं किए गए लेकिन अधिनियम में परिभाषित है और इन अध्यादेशों के अनुरूप नहीं होने वाले शब्दों और अभिव्यक्तियों का अर्थ उस अधिनियम में नियत किया जाएगा।

4. **एम.एस (अनुसंधान द्वारा) प्रोग्राम में प्रवेश के लिए योग्यता मानदंड**:

जिन उम्मीदवारों ने पूरा कर लिया है:

स्नातक (यूजी) डिग्री में उम्मीदवार को एक प्रासंगिक विषय में या समकक्ष क्युमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज (सीजीपीए) के साथ कम से कम 55% अंक प्राप्त करने चाहिए, सिर्फ मैरिनर (नाविक) के लिए जिनका मास्टर/एमईओ क्लास I योग्यता प्रमाणपत्र ही पर्याप्त होगा ।

भारत सरकार द्वारा समय-समय पर लिए जाने वाले निर्णयों के अनुसार अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन-क्रिमी लेयर) / विकलांग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) और अन्य श्रेणियों के उम्मीदवारों को 5% अंक या इसके समकक्ष ग्रेड की छूट की अनुमति दी जा सकती है।

5. **प्रोग्राम की अवधि:** उम्मीदवार एम.एस (अनुसंधान द्वारा) प्रोग्राम के लिए फुल टाइम स्कॉलर या पार्ट टाइम स्कॉलर के रूप में रजिस्ट्रीकरण कर सकता है।

a. एम.एस (अनुसंधान द्वारा) प्रोग्राम कोर्स वर्क (पाठ्यक्रम कार्य) सहित कम से कम दो (२) वर्ष की अवधि का होगा और अधिकतम प्रवेश की तारीख से तीन (3) वर्ष की अवधि होगा ।

b. समय-समय पर जारी आईएमयू के प्रशासनिक आदेश के अनुसार पुन: रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से अधिकतम एक (1) वर्ष का अतिरिक्त समय दिया जा सकता है; बशर्ते, कि एक एम.एस.(अनुसंधान द्वारा) प्रोग्राम पूरा करने की कुल अवधि प्रवेश की तिथि से चार (4) वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए ।

बशर्ते कि, महिला स्कोलर्स और विकलांग व्यक्तियों (40% से अधिक विकलांगता वाले) को एक (1) वर्ष की अतिरिक्त छूट की अनुमति दी जा सकती है; हालाँकि, ऐसे मामलों में एक एमएस (अनुसंधान द्वारा) प्रोग्राम पूरा करने की कुल अवधि प्रवेश की तारीख से पांच (5) वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए।

c. महिला एम.एस (अनुसंधान द्वारा) स्कोलर्स को एम.एस प्रोग्राम की पूरी अवधि में 240 दिनों तक के लिए मातृत्व छुट्टी/बाल देखभाल के लिए छुट्टी प्रदान किया जा सकता है।

d. उम्मीदवार - नाविकों के अलावा - पार्ट टाइम एम.एस. (अनुसंधान द्वारा) प्रोग्राम के लिए उस संस्था में उपयुक्त प्राधिकारी से "अनापत्ति प्रमाण पत्र" (एनओसी) प्रस्तुत करेगा जहां उम्मीदवार कार्यरत है।

e. फुल टाइम (पूर्णकालिक) रजिस्ट्रीकरण का पार्ट टाइम (अंशकालिक) में और इसके विपरीत में परिवर्तित करना:

(i) इन विनियमों में निर्धारित किसी भी बात के बावजूद, कुलपति वैध कारणों से और लागू मानदंडों को पूरा करने और संसाधनों और सुविधाओं की उपलब्धता के अधीन फुल टाइम (पूर्णकालिक) अनुसंधान से पार्ट टाइम (अंशकालिक) अनुसंधान और इसके विपरीत में परिवर्तित की अनुमति दे सकते हैं।

(ii) एम.एस. (अनुसंधान द्वारा) स्कोलर्स की अवधि की गणना विश्वविद्यालय के प्रशासनिक आदेशों के अनुसार मॉनिटरिंग कमेटी द्वारा की जायेगी।

6. प्रवेश प्रक्रिया:

a. प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा अधिसूचित मानदंडों और समय-समय पर सरकार की आरक्षण नीति को ध्यान में रखते हुए होगा।

b. निम्नलिखित तरीको से एम.एस (अनुसंधान द्वारा) प्रोग्राम में प्रवेश दिया जाएगा:

आईएमयू स्कोलर्स को **लिखित परीक्षा** के माध्यम से प्रवेश दे सकता है। **लिखित परीक्षा** पाठ्यक्रम में 50% अनुसंधान पद्धति शामिल होगी और 50% विषय विशिष्ट/प्रासंगिक विषय होगा।

अथवा

आईएमयू उन स्कोलर्स को प्रवेश दे सकता है जो यूजीसी-नेट/यूजीसी- सीएसआईआर नेट/स्लेट/गेट/सीड और **इंटरव्यू** के आधार पर समान राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में फेलोशिप/स्कॉलर वृत्ति के लिए अर्हता प्राप्त करते हैं।

c. जिन स्कोलर्स ने लिखित परीक्षा में कम से कम 50% अंक प्राप्त किए हैं, वे **इंटरव्यू** के लिए बुलाए जाने के योग्य हैं।

d. भारत सरकार द्वारा समय-समय पर लिए जाने वाले निर्णयों के अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / अलग-अलग विकलांग वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) और अन्य श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए **लिखित परीक्षा** में 5% अंकों की छूट दी जाएगी।

e. आईएमयू उपलब्ध सीटों की संख्या के आधार पर **इंटरव्यू** के लिए बुलाए जाने वाले योग्य स्कोलर्स की संख्या तय कर सकता है।

f. बशर्ते कि आईएमयू द्वारा आयोजित **लिखित परीक्षा** के आधार पर उम्मीदवारों के चयन के लिए **लिखित परीक्षा** के अंको के लिए 70% और **इंटरव्यू** में प्रदर्शन के लिए 30% का वेटेज दिया जाएगा।

g. कोमन रैंक लिस्ट के लिए, राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा (जहां अंक प्रदान नहीं किए जाते हैं और केवल योग्य है या नहीं वह दर्शाया जाता है) के उम्मीदवार को **लिखित परीक्षा** के लिए पूर्ण वेटेज अर्थात 70% दिया जाएगा।

[1] पुन: रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया कुलपति द्वारा जारी की जाएगी ।

[2] पार्ट टाइम /फुल टाइम प्रोग्राम के बीच परिवर्तन की प्रक्रिया कुलपति के अनुमोदन से जारी की जाएगी।

h. **इंटरव्यू** का आयोजन विभागीय कमेटी द्वारा किया जाएगा[2]।

i. विभागीय कमेटी रैंक लिस्ट सुनिणीर्त करेगी।

j. विश्वविद्यालय मार्गदर्शको (पर्यवेक्षक, पदनाम और विभाग/स्कूल का नाम निर्दिष्ट करते हुए) और उनकी विशेषज्ञता के अनुसंधान क्षेत्र की एक लिस्ट वेबसाइट पर बनाए रखेगा और प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में इस लिस्ट को अपडेट करेगा।

7. रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन: प्रवेश प्रक्रिया (अनंतिम प्रवेश के उम्मीदवार को सूचना) के पूरा होने की तारीख से एक महीने के भीतर, शैक्षणिक वर्ष के दौरान शामिल होने की तारीख के बावजूद , उम्मीदवार एम.एस. (अनुसंधान द्वारा) प्रोग्राम को रजिस्ट्रीकरण के आवेदन के साथ पूरे शैक्षणिक वर्ष की निर्धारित शुल्क जमा करेगा। यदि निर्धारित वार्षिक शुल्क निर्धारित समय के भीतर भुगतान नहीं किया जाता है तो अनंतिम चयन/रजिस्ट्रीकरण रद्द हो जाएगा।

8. मार्गदर्शक का निर्धारण । मार्गदर्शक, सह-मार्गदर्शक की योग्यता मानदंड, प्रति मार्गदर्शक क तहत एम.एस (अनुसंधान

[3]विभागीय कमेटी के संबंध में दिशा-निर्देश कुलपति के अनुमोदन से प्रशासनिक आदेश द्वारा जारी किये जाएंगे।

[4] **(a)** मार्गदर्शक/सह-मार्गदर्शक (आंतरिक/बाहरी) के लिए लागू दिशानिर्देश और

(b) सहायक संकाय/सहायक प्राध्यापक के रूप में क्षेत्र/विषय विशेषज्ञों की नियुक्ति के लिए दिशानिर्देश और विशिष्ट मानदंड कुलपति के अनुमोदन से जारी किए जाएंगे।

[5]अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के प्रवेश के लिए दिशानिर्देश कुलपति के अनुमोदन से जारी किए जाएंगे।

द्वारा) स्कोलर्स की स्वीकृत संख्या

a. आईएमयू के स्थायी संकाय सदस्यों जिनके पास पीएच.डी डिग्री है और जो प्राध्यापक/सह-प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक के रूप में कार्यरत है उनको मार्गदर्शक के रूप में मान्यता दी जा सकती है। ऐसे मान्यता प्राप्त करने वाले मार्गदर्शक अन्य संस्थानों में स्कॉलर्स को मार्गदर्शन नहीं कर सकते है, वहा वे केवल सह-मार्गदर्शक के रूप में कार्य कर सकते हैं।

केंद्र सरकार/राज्य सरकार के अनुसंधान संस्थानों में कार्यरत एम.एस (अनुसंधान द्वारा) स्कॉलर्स के लिए ऐसे अनुसंधान संस्थानों के वैज्ञानिक जो प्राध्यापक/सह-प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक के समकक्ष हैं, यदि वे आईएमयू दिशानिर्देशों को पूरा करते हैं तो उन्हें बाहरी मार्गदर्शक के रूप में मान्यता दी जा सकती है।

संकाय जो अन्य केंद्रीय/राज्य विश्वविद्यालयों, स्वायत्त शैक्षिक/अनुसंधान संस्थानों, आईआईटी, एनआईटी, आईआईएम या आईएमयू के संबद्ध संस्थानों से दो साल का शिक्षण अनुभव है और जिनके पास पीएच.डी. डिग्री है और जो यूजीसी अनुमोदित पत्रिकाओं में कम से कम एक अनुसंधान पत्र प्रकाशित किया हो, उसे बाहरी परीक्षक (एक्स्टर्नल एक्सएमिनेर)के रूप में मान्यता दी जा सकती है।

एक ही विभाग या आईएमयू के अन्य विभागों या अन्य संस्थानों के सह- गाइडो को सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से अनुमति दी जा सकती है।

सहायक संकाय मार्गदर्शक के रूप में कार्य नहीं करेंगे केवल सह-मार्गदर्शक के रूप में कार्य कर सकते है।

b. अंतर्विषयक/बहुविषयक अनुसंधान कार्य के मामले में, यदि आवश्यक हो, तो विभाग/विद्यालय/विश्वविद्यालय के बाहर के सह-मार्गदर्शक को नियुक्त किए जा सकता हैं।

c. एक योग्य प्राध्यापक/सह-प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक किसी भी समय क्रमशः आठ (8)/छह (6)/चार (4) एम.एस (अनुसंधान द्वारा) स्कोलर्स का मार्गदर्शन कर सकता है।

d. संकाय सदस्य जिसके पास तीन वर्ष से भी कम समय है सेवा-निवृत्ति के लिए उन्हें नए अनुसंधान करने वाले स्कॉलर्स को मार्गदर्शन देने की अनुमति नहीं होगी। हालांकि, ऐसे संकाय सदस्य सेवानिवृत्ति तक पहले से ही रजिस्टर्ड स्कॉलर्स को मार्गदर्शन देना जारी रख सकते हैं और सेवानिवृत्ति के बाद सह-मार्गदर्शक के रूप में कार्यरत कर सकेंगे , लेकिन 70 वर्ष की आयु के बाद कार्यरत नहीं कर सकते है ।

9. एम.एस. (अनुसंधान द्वारा) प्रोग्राम में अंतर्राष्ट्रीय स्कोलर्स का प्रवेश ।

a. अंतर्राष्ट्रीय स्कोलर्स का एम.एस (अनुसंधान द्वारा) प्रोग्राम में प्रवेश के संबंध में समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों/मानदंडों को ध्यान में रखते हुए आईएमयू अपनी चयन प्रक्रिया तय कर सकती है।

b. किसी भी समय, एक संकाय सदस्य के तहत कुल एम.एस (अनुसंधान द्वारा) स्कोलर्स की संख्या या तो एक मार्गदर्शक या सह-मार्गदर्शक के रूप में, उपरोक्त खण्ड 8.सी में निर्दिष्ट संख्या से अधिक होनी नहीँ चाहिए।

10. मॉनिटरिंग कमेटी (एमसी) और उसके कार्य:

a. मॉनिटरिंग कमेटी का गठन : -

रजिस्ट्रीकरण की तारीख से एक महीने के भीतर, समय-समय पर एम.एस स्कॉलर की शैक्षणिक प्रगति में सहायता और निगरानी के लिए कुलपति द्वारा एक मॉनिटरिंग कमेटी गठित की जाएगी।

b. मॉनिटरिंग कमेटी में होंगे:-

(i) एक मार्गदर्शक जो उस क्षेत्र का विशेषज्ञ है जिसमें स्कॉलर अनुसंधान करना चाहता है और जिसे एम.सी के अध्यक्ष के रूप में नामित किया है।

(ii) एक वरिष्ठ संकाय सदस्य

(iii) मार्गदर्शक द्वारा प्रस्तावित तीन विशेषज्ञों के पैनल में से कम से कम एक विशेषज्ञ को कुलपति द्वारा नामित किया जाना चाहिए।

c. मॉनिटरिंग कमेटी के कार्य :

(i) प्रवेश से लेकर डिग्री प्रदान करने तक स्कॉलर द्वारा किए गए अनुसंधान से संबंधित सभी शैक्षणिक

मामलों पर चर्चा, सलाह और सिफारिश करना।

(ii) अनुसंधान प्रस्ताव की समीक्षा करना और अनुसंधान के विषय को अंतिम रूप देना।

(iii) उपयुक्त विषयों का सुझाव देना [अनुसंधान के प्रासंगिक क्षेत्र में] जो स्कॉलर द्वारा अपने कार्स वर्क के हिस्से के रूप में लेगा/लेगी।

(iv) स्कॉलर के कार्य की समय-समय पर मॉनिटरिंग करना तथा छह माह में कम से कम एक बार मिलना।

(iv) विश्वविद्यालय में स्कॉलर द्वारा सिनॉप्सिस और थीसिस जमा करने की मॉनिटरिंग करना।

11. कोर्स वर्क - पूरा करने के लिए क्रेडिट आवश्यकताएं, संख्या और न्यूनतम मानक।

a. कोर्स वर्क के लिए क्रेडिट की आवश्यकता कम से कम 12 क्रेडिट है, जिसमें रिसर्च (अनुसंधान) और पब्लिकेशन एथिक्स (प्रकाशित नैतिकता) और रिसर्च मेथोडोलॉजी (अनुसंधान प्रणाली) कोर्स शामिल हैं। मॉनिटरिंग कमेटी एम.एस (अनुसंधान द्वारा) के लिए क्रेडिट आवश्यकताओं के हिस्से के रूप में यूजीसी मान्यता प्राप्त ऑनलाइन कोर्स की भी सिफारिश कर सकती है।

b. रजिस्ट्रीकरण की तारीख से 18 महीने के भीतर सभी कोर्स वर्क पूरा किया जाना चाहिए। यदि स्कॉलर निर्धारित समय के भीतर कोर्स-वर्क संबंधी सभी कार्यों और परीक्षाओं को पूरा करने में विफल रहता है, तो रजिस्ट्रीकरण रद्द कर दिया जाएगा।

c. स्कॉलर को प्रोग्राम में रहने और अपनी थीसिस जमा करनी की योग्यता प्राप्त करने के लिए कोर्स वर्क में कम से कम 55% अंक या इसके समकक्ष ग्रेड प्राप्त करना होगा।

12. डिग्री प्रदान करने के लिए मूल्यांकन और आकलन के तरीके, न्यूनतम मानक/क्रेडिट

a. कोर्स वर्क के संतोषजनक रूप से पूरा होने और खण्ड 11 (सी) में निर्धारित अंक/ग्रेड प्राप्त करने पर, स्कॉलर को अनुसंधान कार्य करने और थीसिस तैयार करने की आवश्यकता होगी।

b. थीसिस जमा करने से पहले, स्कॉलर विश्वविद्यालय की मॉनिटरिंग कमेटी के समक्ष एक प्रस्तुति देगा, जिसमें सभी संकाय सदस्य और अन्य अनुसंधानकर्ता/स्कोलर्स भी उपस्थित रह सकते है।

c. विश्वविद्यालय के पास अनुसंधान कार्य में प्लेगरिज्म का पता लगाने के लिए अच्छी तरह से विकसित सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों का उपयोग करने वाला एक तंत्र होना चाहिए और अनुसंधान ईमानदारी सभी अनुसंधान गतिविधियों का एक अभिन्न अंग है जो एम.एस (अनुसंधान द्वारा) डिग्री प्रदान करने के लिए अग्रणी होगा।

d. स्कॉलर थीसिस को मूल्यांकन के लिए प्रस्तुत करेगा, साथ में (a) एक उपक्रम कि कोई प्लेगरिज्म नहीं है और (b) थीसिस की मौलिकता को प्रमाणित करने के लिए मार्गदर्शक से एक प्रमाण पत्र की किसी अन्य उच्च शिक्षा संस्थान से अन्य डिग्री/डिप्लोमा को प्राप्त करने के लिए ये थीसिस प्रस्तुत नहीं किया गया है।

e. एम.एस (अनुसंधान द्वारा) स्कॉलर प्रस्तुत थीसिस का मूल्यांकन कम से कम दो बाहरी परीक्षकों द्वारा किया जाएगा जो क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं और विश्वविद्यालय में कार्यरत नहीं हैं। ऐसे परीक्षक जो शैक्षणिक या क्षेत्र के विशेषज्ञ होने चाहिए, जिनका क्षेत्र में स्कोलर्स के प्रकाशनों का अच्छा रिकॉर्ड हो। वाइवा वॉयस (मौखिक परीक्षा) बोर्ड में मार्गदर्शक और कम से कम दो बाहरी परीक्षकों (एक्सटर्नल एक्सामिनर्स) में से एक शामिल होगा। मौखि परीक्षा दौरान मॉनिटरिंग समिति के सदस्यों, संकाय सदस्यों, अनुसंधान विद्वानों और स्कॉलर भी उपस्थित रह सकते है ।

f. थीसिस के बचाव में स्कॉलर की मौखिक परीक्षा आयोजित की जाएगी यदि दोनों बाहरी परीक्षक द्वारा सुझाए गए किसी भी सुधार को समाविष्ट करने के बाद थीसिस को स्वीकार करने की सिफारिश करते हैं। बाहरी परीक्षकों में से अगर कोई एक अस्वीकृति का सुझाव देता है, तो विश्वविद्यालय थीसिस को परीक्षकों के अनुमोदित पैनल से एक वैकल्पिक बाहरी परीक्षक को भेजेगा और मौखिक परीक्षा केवल तभी आयोजित की जाएगी जब वैकल्पिक परीक्षक थीसिस की स्वीकृति की सिफारिश करेगा। यदि वैकल्पिक परीक्षक थीसिस की स्वीकृति की सिफारिश नहीं करता है, तो थीसिस को अस्वीकार कर दिया जाएगा और स्कॉलर को एम.एस. (अनुसंधान द्वारा) डिग्री प्रदान करने के अयोग्य है ऐसा घोषित किया जाएगा।

g. विश्वविद्यालय थीसिस जमा करने की तारीख से छह (6) महीने की अवधि के भीतर मौखिक परीक्षा के

परिणाम की घोषणा सहित थीसिस के मूल्यांकन की पूरी प्रक्रिया को पूरा करेगा।

13. अनंतिम प्रमाणपत्र जारी करना: एम.एस. (अनुसंधान द्वारा) डिग्री प्रदान करने से पहले, विश्वविद्यालय इस आशय का एक अनंतिम प्रमाण पत्र जारी करेगा कि एम.एस. (अनुसंधान द्वारा) अध्यादेश के प्रावधानों के अनुसार प्रदान किया जा रहा है।

---

[6] कोर्स वर्क के लिए दिशानिर्देश, कोर्स वर्क के लिए संकाय का निर्धारण, क्रेडिट, मूल्यांकन, व्यापक परीक्षा, सेमिनार, प्रकाशन, सिनाप्सिस और थीसिस कुलपति के अनुमोदन से जारी किए जाएंगे।

[7] प्लेगरिज्म की स्वीकृति स्तर के लिए दिशा-निर्देश कुलपति के अनुमोदन से जारी किए जाएंगे।

[8] अधिनिर्णयन प्रक्रियाओं के लिए दिशानिर्देश, परीक्षकों का पैनल, मूल्यांकन, पुनर्मूल्यांकन, सिफारिश के लिए प्रारूप, लोक रक्षा का संचालन और एम.एस. (अनुसंधान द्वारा) डिग्री प्रदान करना कुलपति के अनुमोदन से जारी की जाएंगी।

14. थीसिस का प्रकाशन:

a. विश्वविद्यालय की पूर्व अनुमति के साथ ही थीसिस प्रकाशित किया जा सकता है।

b. डिग्री प्रदान करने के बाद ही थीसिस के प्रकाशन की अनुमति मांगी जानी चाहिए। विश्वविद्यालय ऐसी शर्तों के तहत थीसिस प्रकाशन की अनुमति दे सकता है जो वह उचित समझे।

15. प्लेगरिज्म:

a. यदि यह पाया जाता है कि एक स्कॉलर ने एक अनुसंधान कार्य/अनुसंधान प्रबंध/थीसिस की नकल की है और उसे एम.एस (अनुसंधान द्वारा) डिग्री के लिए और अपने नाम पर प्रस्तुत करता है, तो उम्मीदवार विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित कार्रवाई के लिए उत्तरदायी हो सकता है।

b. उपरोक्त वर्णित इस तरह के कृत्य के लिए उकसाने के लिए, मार्गदर्शक की मान्यता विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगी।

c. यदि पूर्व - स्कॉलर के खिलाफ **प्लेगरिज्म** (साहित्यिक चोरी) का पता चलता है तो ऐसे मामलो में, आईएमयू को उसके द्वारा प्रदान की गई डिग्री को वापस लेने और मार्गदर्शक के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने का अधिकार होगा।

16. रजिस्ट्रीकरण रद्द करना: निम्नलिखित में से किसी भी कारण से स्कॉलर का रजिस्ट्रीकरण रद्द किया जा सकता है:

a. यदि स्कॉलर जारी एम.एस (अनुसंधान द्वारा) प्रोग्राम से निकलना/ निकासी चाहता है;

b. यदि मॉनिटरिंग कमेटी लगातार दो चेतावनियों के बावजूद स्कॉलर की प्रगति संतोषजनक नहीं पायी जाती है;

c. यदि स्कॉलर प्रोग्राम जारी रखने के लिए निर्धारित समय के भीतर वार्षिक शुल्क का भुगतान करने में विफल रहता है;

d. यदि कोई एम.एस स्कॉलर अनुमत अधिकतम अवधि के भीतर थीसिस जमा करने में विफल रहता है, तो उसका रजिस्ट्रीकरण रद्द हो जाएगा।

e. यदि स्कॉलर किसी भी शैक्षणिक कदाचार में शामिल पाया जाता है, जिसमें (लेकिन यह सीमित नहीं है), परिणामों का निर्माण, प्लेगरिज्म, शैक्षणिक बेईमानी के अन्य रूप भी शामिल हो सकते हैं।

17. कठिनाइयों का निवारण: पूर्वोक्त नियमों की व्यापकता के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, अनुसंधान अध्ययन बोर्ड के पास इस अध्यादेश की तारीख से पांच साल की अवधि के लिए, किसी भी कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति होगी, जो पिछले अध्यादेश के बदलाव के दौरान उत्पन्न हुई हो या अध्यादेश को लागू करने के दौरान उत्पन्न हो सकती है।

नोट: राजपत्र संख्या 62 दिनांक 13.02.2019 में प्रकाशित 2018 का अध्यादेश 31 इसके द्वारा निरस्त किया जाता है।

के. सरवनन, कुल सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./296/2023-24]

INDIAN MARITIME UNIVERSITY

NOTIFICATION

Chennai, the 21st July, 2023

No. IMU/HQ/ADM/Notification/2023/01.—In exercise of the powers conferred by Section 47 (1) of the Indian Maritime University Act, 2008 (22 of 2008), the following Notifications are published for general information:

Sl.No.	Statute/ Ordinance/ Notification	Description	Executive Council Resolution
1	Ordinance No 1 of 2023	Ph.D Ordinance	EC Circulation 06 of 2018 dated 07.12.2018 amended vide EC Circulation 01 of 2023 dated 10.02.2023.
2	Ordinance No 2 of 2023	M.S (By Research) Ordinance	[EC Circulation 06 of 2018 dated 07.12.2018] Amended vide EC Circulation No. 01 of 2023 dated 10.02.2023.

Note : In case of discrepancy between English and Hindi version of this document, the English version shall prevail.

Ordinance 01 of 2023

[EC Circulation 06 of 2018 dated 07.12.2018 amended vide EC Circulation 01 of 2023 dated 10.02.2023.]

Ph.D Ordinance -Minimum Standards and Procedures for Award of Ph.D. Degree

1. **Preamble**: The Degree of **Doctor of Philosophy** (Ph.D.) shall be awarded to a candidate who, as per the regulations of the Indian Maritime University set out hereunder, has submitted a thesis based on original and independent research in any particular discipline or more than one discipline (inter-disciplinary), that contributes to the advancement of knowledge and which is approved by a constituted Board of Examiners.

2. **Areas of Research:** The University shall provide facilities for research in the following indicative areas:

a. Marine Engineering

b. Nautical Science

c. Naval Architecture, Ship Building and Ship Breaking

d. Dredging and Harbour Engineering

e. Off-shore Support Services

f. Inland Waterways, Coastal Shipping and River-Sea Shipping

g. Port and Shipping Management

h. Logistics and Supply Chain Management

i. Maritime Security and Piracy

j. Maritime Law, Maritime Insurance

k. Inter-disciplinary areas

l. Maritime related areas.

3. **Definitions**

(A) In these Regulations, unless the context otherwise requires, -

a. "Act" means the Indian Maritime University Act, 2008 (42 of 2008);

b. "Adjunct Faculty" means a part-time or contingent instructor, but not full-time faculty member hired to teach;

c. "Cumulative Grade Point Average (CGPA)" means a measure of the overall cumulative performance of a student over all semesters. The CGPA is the ratio of total credit points secured by a student in various courses in all semesters and the sum of the total credits of all courses in all semesters. It is expressed up to two decimal places;

d. "Credit" means the number of hours of instruction required per week over the duration of a semester. A three-credit course in a semester means three one-hour lectures per week, with each one-hour lecture counted as one credit;

e. "College" means a college maintained by or admitted to the privileges of the University for imparting education and training in maritime studies or in its associated disciplines;

f. "Course" means one of the specified units which go to comprise a programme of study;

g. "Course Work" means courses of study prescribed by the School/Department to be undertaken by a student registered for the Ph.D. Degree;

h. "Degree" means a degree awarded by IMU or by a Higher Education Institution or University recognized by UGC/AICTE;

i. "External examiner" means an academician/researcher with published research work who is not part of IMU;

j. "Foreign Educational Institution" means–(i) an institution duly established or incorporated in its home country and offering educational programmes at the undergraduate, postgraduate and higher levels in its home country and (ii) which offers programme(s) of study leading to the award of a degree through conventional face-to-face mode, but excluding distance, online, ODL mode;

k. "Grade Point" means a numerical weight allotted to each letter grade on a 10-point scale;

l. "Guide" means an academician/researcher recognized by IMU to supervise the Ph.D. scholar for research;

m. "Interdisciplinary Research" means research conducted by a Ph.D. scholar in two or more academic disciplines;

n. "Open and Distance Learning Mode" shall have the same meaning as defined under the UGC Regulations 2020;

o. "Online Mode" shall have the same meaning as defined under the UGC (Open and Distance Learning Programmes and Online Programmes) Regulations 2020;

p. "Plagiarism" means the practice of taking someone else's work or idea and passing them as one's own;

q. "Programme" means a higher education programme pursued for a degree specified by IMU Act 2008;

r. "Academic Brochure" means document, whether in print or otherwise, issued for providing fair and transparent information relating to university academic /research programmes, to the general public (including to those seeking admission) by the University;

s. "Research Proposal" means a brief write-up giving an outline of the proposed research work which the Ph.D. scholar shall submit along with the application for registration for Ph.D. programme;

t. "University" means Indian Maritime University, under the Act of Parliament (Act 22), 2008.

(B) Words and expressions used and not defined in these Ordinances but defined in Act and not consistent with these Ordinances shall have the meanings assigned to them in that Act.

4. **Eligibility criteria for admission into the Ph.D. Programme:**

Candidates who have completed:

a. A 1-year/2-semester master's degree programme after a 4-year/8-semester bachelor's degree programme or a 2-year/4-semester master's degree programme after a 3-year bachelor's degree programme or qualifications declared equivalent to the master's degree by the corresponding statutory regulatory body.

or

b. equivalent qualification from a foreign educational institution accredited by an assessment and accreditation agency which is approved, recognized or authorized by an authority, established or incorporated under a law in its home country or any other statutory authority in that country to assess, accredit or assure quality and standards of the educational institution.

or

c. 4-year/8-semester bachelor's degree programme with a minimum of 75% marks in aggregate or its equivalent grade on a point scale wherever the grading system is followed.

or

d. M.S (By Research) awarded by IMU.

or

e. Mariners with Master/ MEO Class I Certificates of Competencies or PGDMOM qualifications with 2 years of teaching experience, preferably continuous, at degree level as faculty in IMU/ IMU Affiliated Institutes/Directorate General of Shipping approved institutes are also eligible for Ph.D programme. This criteria shall be applicable upto the academic year 2023-24 or as decided by the Vice Chancellor.

Unless specified otherwise, in Bachelor's and Master's degrees the candidate should have scored at least 55% marks in aggregate or its equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed

A relaxation of 5% marks or its equivalent grade may be allowed for those belonging to SC/ST/OBC (non-creamy layer)/Differently-abled, Economically Weaker Section (EWS) and other categories of candidates as per the decision of the Government of India from time to time.

5. **Duration of the Programme:**

a. Ph.D. Programme shall be for a minimum duration of three (3) Years, including course work and a maximum duration of six (6) years from the date of admission to the Ph.D. programme.

b. A maximum of an additional two (2) years can be given through a process of re-registration as per the administrative order of IMU issued from time to time; provided, however, that the total period for completion of a Ph.D. programme should not exceed eight (8) years from the date of admission in the Ph.D. programme.

Provided further that, female Ph.D. scholars and Persons with Disabilities (having more than 40% disability) may be allowed an additional relaxation of two (2) years; however, the total period for completion of a Ph.D. programme in such cases should not exceed ten (10) years from the date of admission in the Ph.D. programme.

c. Female Ph.D. Scholars may be provided Maternity Leave/Child Care Leave for up to 240 days in the entire duration of the Ph.D. programme.

6. **Procedure for Admission:**

a. The admission shall be based on the criteria notified by the University and considering the reservation policy of the Government from time to time.

b. Admission to the Ph.D. programme shall be made using the following methods:

(i) IMU may admit students through a **Written Test**. The **Written Test** syllabus shall comprise of 50% research methodology and 50% subject specific.

or

(ii) IMU may admit students who qualify for fellowship/scholarship in UGC-NET/UGC- CSIR NET/SLET/GATE/CEED/ and similar National level tests based on **Interview.**

c. Students who have secured at least 50 % marks in the Written Test are eligible to be called for the Interview.

d. A relaxation of 5 % marks will be allowed in the **Written Test** for the candidates belonging to SC/ST/OBC/differently-abled category, Economically Weaker Section (EWS), and other categories of candidates as per the decision of the Government of India from time to time.

e. IMU may decide the number of eligible students to be called for an **Interview** based on the number of Ph.D. seats available.

f. Provided that for the selection of candidates based on the **Written Test** conducted by the IMU, a weightage of 70 % for the **Written Test** marks and 30 % for the performance in the **Interview** shall be given.

g. For common rank list, national level test (where marks are not awarded and only qualified or not are indicated) candidate shall be given full weightage i.e. 70% for **written test**.

h. The **Interview** shall be conducted by the Departmental Committee[1].

i. The Departmental Committee shall finalize the rank list.

7. **Application for Registration.** Within a month from the date of completion of admission process (intimation to the candidate of provisional admission) the candidate shall submit the application for

[1] Guidelines about the Departmental Committee will be issued through an administrative order with the approval of the Vice Chancellor

registration to the Ph.D. programme along with payment of the prescribed fees for the entire Academic Year, irrespective of the date of joining during the Academic Year. The provisional selection/registration shall stand cancelled if the prescribed annual fee is not paid within the stipulated time.

8. **Allocation of Guide.** Eligibility criteria to be a Guide[2], Co- Guide, Number of Ph.D. scholars permissible per Guide, etc.

a. Permanent faculty members working as Professor/Associate Professor / Assistant Professor of the IMU with a Ph.D., may be recognized as a Guide[2]. Such recognized Guides cannot supervise research scholars in other institutions, where they can only act as Co-guides.

For Ph.D. scholars working in Central government/ State government research institutions, the scientists in such research institutions who are equivalent to Professor/Associate Professor/Assistant Professor can be recognized as external Guides if they fulfil the IMU guidelines.

Faculty with two years of teaching experience from other Central/ State Universities, Autonomous Educational /Research institutions, IIT, NIT, IIM or IMU's Affiliated Institutes, having a Ph.D. degree who has published at least one research paper in UGC approved Journals can be recognized as external supervisors.

Provided that in areas/disciplines where there is no, or only a limited number of peer-reviewed or refereed journals, IMU may relax the above condition for recognition of a person as a Guide with reasons recorded in writing.

Co-Guides from within the same department or other departments of the IMU or other institutions may be permitted with the approval of the competent authority.

Adjunct Faculty[3] shall not act as Guide and can only act as Co-Guides.

b. In case of interdisciplinary/multidisciplinary research work, if required, Co-Guides from outside the Department/School/University may be appointed.

c. An eligible Professor/Associate Professor/Assistant Professor can guide up to eight (8) / six (6) / four (4) Ph.D. scholars, respectively, at any given time.

d. Faculty members with less than three years of service before superannuation shall not be allowed to take new research scholars under their supervision. However, such faculty members can continue to supervise Ph.D. scholars who are already registered until superannuation and as a Co-Guide after superannuation, but not after attaining the age of 70 years.[4]

e. The University shall maintain a list of Ph.D. Guides (specifying the name of the Guide, designation and the department/school), along with the details of Ph.D. scholars (specifying the name of the registered Ph.D. scholar, the topic of research and the date of admission) admitted under them on the website.

9. **Admission of International students in Ph.D. Programme:**

a. Each Guide can guide up to two international research scholars on a supernumerary basis over and above the permitted number of Ph.D. scholars as specified in clause 8.c above.

b. The IMU may decide their own selection procedure for Ph.D. admission of international students.

10. At any point, the total number of Ph.D. scholars under a faculty member, either as a Guide or a Co- Guide, shall not exceed the number prescribed in clause 8.c and clause 9.a.

11. **Course Work – Credit requirements, number, minimum standards for completion.**

a. The Credit requirement[5] for the Ph.D. coursework is a minimum of 12 credits, including a *Research and Publication Ethics* and a *Research Methodology* course. The Doctoral Committee can also recommend UGC recognized online courses as part of the credit requirements for the Ph.D. programme.

b. All Ph.D. scholars, irrespective of discipline, shall be required to train in teaching/ education/pedagogy/writing related to their chosen Ph.D. subject during their doctoral period. Ph.D.

[2] Guidelines applicable to Guide/Co-Guide (internal / external) will be issued with the approval of Vice Chancellor.

[3] Guidelines and specific norms for appointing Industry/Subject Experts as Adjunct Faculty / Professor will be issued with the approval of Vice Chancellor.

[4] Guidelines applicable to Guide/Co-Guide (internal / external) will be issued with the approval of Vice Chancellor

[5] Guidelines for Composition of Course work details, allocation of faculty to course work, credits, assessment procedures, conduct of Comprehensive Examination, Seminar presentation, Publication, submission of Synopsis & Thesis will be issued with the approval of Vice Chancellor

scholars may also be assigned[6] teaching/research assistantship, conducting tutorial or laboratory work and evaluations.

c. A Ph.D. scholar must obtain a minimum of 55% marks or its equivalent grade in the course work to be eligible to continue in the programme and submit his or her thesis.

12. **Doctoral Committee and its Functions**

a. There shall be a Doctoral Committee (DC) for each Ph.D. scholar. The Guide of the Ph.D. scholar concerned shall be the Chairman of the committee. The DC shall have the following responsibilities:

(i) To review the research proposal and finalize the topic of research.

(ii) To guide the Ph.D. scholar in developing the study design and methodology of research and identify the course(s).

(iii) To periodically review and assist in the progress of the research work of the Ph.D. scholar.

b. Each semester, a Ph.D. scholar shall appear before the DC to make a presentation and submit a brief report on the progress of the work for evaluation and further guidance. The DC shall submit its recommendations along with a copy of scholar's progress report to the University. A copy of the proceedings in the prescribed format to be provided to the Ph.D. scholar.

c. In case the progress of the Ph.D. scholar is unsatisfactory, the DC shall record the reasons for the same and suggest corrective measures. If the Ph.D. scholar fails to implement these corrective measures, the DC may recommend, with specific reasons, the cancellation of the registration of the Ph.D. scholar from the Ph.D. programme.[7]

13. **Evaluation and Assessment Methods, minimum standards/credits for award of the degree.**

a. Upon satisfactory completion of course work and obtaining the marks/grade prescribed in clause 11(c) above, the Ph.D. scholar shall be required to undertake research work and produce a draft dissertation/thesis.

b. Before submitting the thesis, the Ph.D. scholar shall make a presentation before the Doctoral Committee of the University, which shall also be open to all faculty members and other research scholars/students.

c. The University shall have a mechanism using well-developed software applications to detect Plagiarism in research work and the research integrity shall be an integral part of all the research activities leading to the award of a Ph.D. degree.

d. A Ph.D. scholar shall submit the thesis for evaluation, along with (a) an undertaking from the Ph.D. scholar that there is no plagiarism and (b) a certificate from the Guide attesting to the originality of the thesis and that the thesis has not been submitted for the award of any other degree/diploma to any other Higher Educational Institution.

e. The Ph.D. thesis submitted by a Ph.D. scholar shall be evaluated by at least two external examiners who are experts in the field and not in employment of the University concerned. Such examiner(s) should be academics or industry expert with a good record of scholarly publications in the field. Wherever possible, one of the external examiners should be chosen from outside India. The viva-voce board shall consist of the Guide and at least one of the two external examiners. The viva-voce shall be open to the members of the Doctoral Committee/faculty members/research scholars, and students.

f. The viva-voce of the Ph.D. scholar to defend the thesis shall be conducted if both the external examiners recommend acceptance of the thesis after incorporating any corrections suggested by them. If one of the external examiners recommends rejection, University shall send the thesis to an alternate external examiner from the approved panel of examiners, and the viva-voce examination shall be held only if the alternate examiner recommends acceptance of the thesis. If the alternate examiner does not recommend acceptance of the thesis, the thesis shall be rejected, and the Ph.D. scholar shall be declared ineligible for the award of a Ph.D.

g. The University shall complete the entire process of evaluating a Ph. D. thesis, including the declaration of the viva-voce result, within a period of six (6) months from the date of submission of the thesis.[8]

14. **Ph.D. through Part-time Mode**[9]

[6] Guidelines will be issued for deciding the quantum of engagement with the approval of Vice Chancellor.

[7] Guidelines for Nomination of Doctoral Committee Members including additional responsibilities will be issued with the approval of Vice Chancellor.

[8] Guidelines for adjudication procedures, panel of examiners, evaluation, re-evaluation, format for recommendation, conduct of Public defense and award of Ph.D degree will be issued with the approval of Vice Chancellor.

a. Ph.D. programmes through part-time mode will be permitted, provided all the conditions stipulated in these Regulations are fulfilled.

b. The candidate – **other than sea farers** - for a part-time Ph.D. programme the candidate shall submit a "No Objection Certificate" from the appropriate authority in the organization where the candidate is employed.

* Category & requirements for seafarers**

#	Category	Requirement of NOC
1	Seafarer without employment	Exempted
2	Sea going seafarer	Exempted
3	Seafarer with shore employment	NOC is mandatory
4	Other than seafarer with employment	NOC is mandatory
5	Other than seafarer without employment	Full Time Ph.D. option only

** Seafarers means Mariners with Master/MEO Class I Certificates of Competencies or PGDMOM qualifications.

15. **Issuing a Provisional certificate.** Prior to the actual award of the Ph.D. degree, University shall issue a provisional certificate to the effect that the Ph.D. is being awarded in accordance with the provisions of the Ordinance.

16. **Publication of the Thesis:**

a. A thesis may be published, only with prior permission of the university.

b. Permission for publication of the thesis should be sought after award of the degree. The University may grant permission for the publication of the thesis under such conditions as it may deem fit.

17. **Depository with INFLIBNET:** Following the successful completion of the evaluation process and before the announcement of the award of the Ph.D. degree(s), the University shall submit an electronic copy of the Ph.D. thesis to INFLIBNET, for hosting the same so as to make it accessible to all the Higher Educational Institutions and research institutions.

18. **Cancellation of Registration:** The registration of the scholar is liable to be cancelled on account of any of the following reasons:

a. If the scholar wishes to exit /withdraw from pursuing the Ph.D., programme;

b. If the DC finds that the progress of the scholar is not satisfactory despite of two consecutive warnings having been issued;

c. If the scholar fails to pay the annual fee for continuing in the programme;

d. If the scholar is found to be involved in any academic malpractice, which may include (but not limited to), fabrication of results, plagiarizing, or other forms of academic dishonesty.

19. **Removal of Difficulties:** Without prejudice to the generality of the aforesaid regulations, the Board of Research Studies shall have the power, for a period of five years from the date of this Ordinance, to remove any difficulties that may arise either in the course of the transition from the previous Ordinance or in the course of implementing the Ordinance.

20. **The following Clauses will be operated through an administrative order with the approval of the Vice Chancellor, in addition to the above clauses:**

a. Migration/Transfer from Other Universities to IMU and from IMU to other Universities.

b. Integrated Ph.D. Programme.

Note 1: The Ordinance 30 of 2018 published in the Gazette No. 62 dated 13.02.2019 is hereby repealed.
Note 2: The Integrated Ph.D. guidelines vide BRS-2021-Circulation No.2, EC-2021-61-23 are hereby repealed

Ordinance 02 of 2023

[EC Circulation 06 of 2018 dated 07.12.2018 Amended vide EC Circulation No. 01 of 2023 dated 10.02.2023.]

M.S (By Research) Ordinance - Minimum Standards and Procedures for Award of M.S (By Research) Programme

[9] Guidelines for Conversion of Full-time Registration into Part-time and Vice-Versa will be issued through an administrative order with the approval of the Vice Chancellor.

1. Preamble: The M.S (By Research) Degree shall be awarded to a candidate who, as per the regulations of the Indian Maritime University set out hereunder, has submitted a thesis based on original and independent research in any particular discipline or more than one discipline (inter-disciplinary), that makes a contribution to the advancement of knowledge and which is approved by a constituted Board of Examiners.

2. Areas of Research: The University shall provide facilities for research in the following indicative areas:

a. Marine Engineering
b. Nautical Science
c. Naval Architecture, Ship Building and Ship Breaking
d. Dredging and Harbour Engineering
e. Off-shore Support Services
f. Inland Waterways, Coastal Shipping and River-Sea Shipping
g. Port and Shipping Management
h. Logistics and Supply Chain Management
i. Maritime Security and Piracy
j. Maritime Law, Maritime Insurance
k. Inter-disciplinary areas
l. Maritime related areas

3. Definitions

(A) In these Regulations, unless the context otherwise requires, -

a. "Act" means the Indian Maritime University Act, 2008 (42 of 2008);
b. "Adjunct Faculty" means a part-time or contingent instructor, but not full-time faculty member hired to teach;
c. "Cumulative Grade Point Average (CGPA)" means a measure of the overall cumulative performance of a student over all semesters. The CGPA is the ratio of total credit points secured by a student in various courses in all semesters and the sum of the total credits of all courses in all semesters. It is expressed up to two decimal places;
d. "Credit" means the number of hours of instruction required per week over the duration of a semester. A three-credit course in a semester means three one-hour lectures per week, with each one-hour lecture counted as one credit;
e. "College" means a college maintained by or admitted to the privileges of the University for imparting education and training in maritime studies or in its associated disciplines;
f. "Course" means one of the specified units which go to comprise a programme of study;
g. "Course Work" means courses of study prescribed by the School/Department to be undertaken by a student registered for the M.S (By Research) Programme;
h. "Degree" means a degree awarded by IMU or by a Higher Education Institution or University recognized by UGC/AICTE;
i. "External examiner" means an academician/researcher with published research work who is not part of IMU;
j. "Foreign Educational Institution" means–
   (i) an institution duly established or incorporated in its home country and offering educational programmes at the undergraduate, postgraduate and higher levels in its home country and
   (ii) which offers programme(s) of study leading to the award of a degree through conventional face-to-face mode, but excluding distance, online, Open and Distance Learning (ODL) mode;
k. "Grade Point" means a numerical weight allotted to each letter grade on a 10-point scale;
l. "Guide" means an academician/researcher recognized by IMU to supervise the M.S (By Research) scholar for research;
m. "Interdisciplinary Research" means research conducted by a Ph.D. / M.S (By Research) scholar in two or more academic disciplines;
n. "Open and Distance Learning Mode" shall have the same meaning as defined under the UGC Regulations 2020;
o. "Online Mode" shall have the same meaning as defined under the UGC (Open and Distance Learning Programmes and Online Programmes) Regulations 2020;
p. "Plagiarism" means the practice of taking someone else's work or idea and passing them as one's own.

q. "Programme" means a higher education programme pursued for a degree.

r. "Academic Brochure" means document, whether in print or otherwise, issued for providing fair and transparent information relating to university academic /research programmes, to the general public (including to those seeking admission) by the University;

s. "Research Proposal" means a brief write-up giving an outline of the proposed research work which the M.S(By Research) scholar shall submit along with the application for registration for M.S (By Research) programme;

t. "Scholar/s" means M.S(By Research) scholar of IMU.

u. "University" means Indian Maritime University, under the Act of Parliament (Act 22), 2008.

(B) Words and expressions used and not defined in these Ordinances but defined in Act and not consistent with these Ordinances shall have the meanings assigned to them in that Act.

4. Eligibility criteria for admission to the M.S. (By Research) Programme:

Candidates who have completed:

Graduate (U.G) degree (or equivalent) in a relevant discipline with at least 55% marks or equivalent Cumulative Grade Point Average (CGPA), except in the case of Mariners for whom a Master/MEO Class I Certificate of Competency would suffice.

A relaxation of 5% marks or its equivalent grade may be allowed for those belonging to SC/ST/OBC (non-creamy layer)/Differently-abled, Economically Weaker Section (EWS) and other categories of candidates as per the decision of the Government of India from time to time.

5. Duration of the Programme: A candidate can register for the M.S. (By Research) programme either as a Full-time scholar or a Part-time scholar.

a. M.S. (By Research) programme shall be for a minimum duration of two (2) Years, including course work and a maximum duration of three (3) years from the date of admission.

b. A maximum of an additional one (1) year can be given through a process of re-registration[10] as per the administrative order of IMU issued from time to time; provided, that the total period for completion of a M.S. (By Research) programme should not exceed four (4) years from the date of admission.

Provided further that, female scholars and Persons with Disabilities (having more than 40% disability) may be allowed an additional relaxation of one (1) year; however, the total period for completion of a M.S. (By Research) programme in such cases should not exceed five (5) years from the date of admission.

c. Female Scholars may be provided Maternity Leave/Child Care Leave for up to 240 days in the entire duration of the MS (By Research) programme.

d. The candidate - other than seafarers - for a part-time M.S. (By Research) programme shall submit a "No Objection Certificate" from the appropriate authority in the organization where the candidate is employed.

e. Conversion of Full-time Registration into Part-time and Vice-Versa:

(i) Notwithstanding anything prescribed in these regulations, the Vice Chancellor may permit conversion from Full-time research to Part-time research and vice-versa for valid reasons and subject to satisfying the norms in force and the availability of resources and facilities.

(ii) The period put in by a M.S. (By Research) scholar shall be worked out by the Monitoring Committee as per the administrative orders of University.[11]

6. Procedure for Admission:

a. The admission shall be based on the criteria notified by the University and considering the reservation policy of the Government of India from time to time.

b. Admission to the M.S. (By Research) programme shall be made using the following methods:

IMU may admit students through a **Written Test**. The **Written Test** syllabus shall consist of 50% of research methodology and 50% shall be subject specific/relevant discipline.

or

IMU may admit students who qualify for fellowship/scholarship in UGC-NET/UGC- CSIR NET/SLET/GATE/CEED and similar National level tests and based on **interview**.

c. Students who have secured at least 50 % marks in the Written Test are eligible to be called for the **interview**.

d. A relaxation of 5 % marks will be allowed in the **Written Test** for the candidates belonging to SC/ST/OBC/differently-abled category, Economically Weaker Section (EWS), and other categories of

[10] Procedure for re-registration will be issued by the Vice Chancellor

[11] Procedures for conversion between part/full time programmes will be issued with the approval of the Vice Chancellor

candidates as per the decision of the Government of India from time to time.

e. IMU may decide the number of eligible candidates to be called for an **interview** based on the number of seats available.

f. Provided that for the selection of candidates based on the **Written Test** conducted by the IMU, a weightage of 70 % for the **Written Test** marks and 30 % for the performance in the **interview** shall be given.

g. For common rank list, national level test (where marks are not awarded and only Qualified or Not are indicated) candidate shall be given full weightage i.e., 70% for **Written Test**.

h. The **interview** shall be conducted by the Departmental Committee[12]

i. The Departmental Committee shall finalize the rank list.

j. The University shall maintain a list of Guides (specifying the name of the supervisor, designation and the department/school) and their research area of expertise on the website and update this list every academic year.

7. Application for Registration: Within a month from the date of completion of admission process (intimation to the candidate of provisional admission), the candidate shall submit the application for registration to the M.S. (By Research) programme along with payment of the prescribed fees for the entire Academic Year irrespective of the date of joining during the Academic Year. The provisional selection/registration shall stand cancelled if the prescribed annual fee is not paid within the stipulated time.

8. Allocation of Guide. - Eligibility criteria to be a Guide, Co-Guide, Number of M.S (By Research) scholars permissible per Guide.

a. Permanent faculty members working as Professor/Associate Professor / Assistant Professor of the IMU with a Ph.D., may be recognized as a Guide[13]. Such recognized Guides cannot supervise research scholars in other institutions, where they can only act as Co-guides.

For Scholars working in Central government/ State government research institutions, the scientists in such research institutions who are equivalent to Professor/Associate Professor/Assistant Professor can be recognized as external Guides if they fulfil the University guidelines.

Faculty with two years of teaching experience from other Central/ State Universities, Autonomous Educational /Research institutions, IIT, NIT, IIM or IMU's Affiliated Institutes, having a Ph.D. degree who has published at least one research paper in UGC approved Journals can be recognized as External Guides.

Co-Guides from within the same department or other departments of the IMU or other institutions may be permitted with the approval of the Competent Authority.

Adjunct Faculty shall not act as Guide and can only act as Co-Guides.

b. In case of interdisciplinary/multidisciplinary research work, if required, Co-Guides from outside the Department/School/University may be appointed.

c. An eligible Professor/Associate Professor/Assistant Professor can guide up to eight (8) / six (6) / four (4) M.S. scholars, respectively, at any given time.

d. Faculty members with less than three years of service before superannuation shall not be allowed to take new research scholars under their supervision. However, such faculty members can continue to supervise scholars who are already registered until superannuation and as a Co-Guide after superannuation, but not after attaining the age of 70 years.

9. Admission of International students in M.S. (By Research) Programme.

a. The IMU may decide their own selection procedure for M.S. (By Research) programme admission of international students keeping in view the guidelines/norms in this regard issued by University from time to time[14].

b. At any point, the total number of M.S. (By Research) scholars under a faculty member, either as a Guide or Co-Guide, shall not exceed the number prescribed as specified in clause 8.c above

10. Monitoring Committee (MC) and its Functions:

a. **Constitution of Monitoring Committee**

Within one month from the date of registration, a Monitoring Committee shall be constituted by the Vice Chancellor to assist and monitor the academic progress of the M.S. scholar on periodic basis.

---

[12] Guidelines for the Departmental committee will be issued by the Vice Chancellor

[13] (a) Guidelines applicable to Guide/Co-Guide (internal/external) and
(b) Guidelines & specific norms for appointing Industry/Subject experts as Adjunct faculty/ Adjunct Professor will be issued with approval of Vice Chancellor.

[14] Guidelines for admission of International students will be issued with the approval of the Vice Chancellor.

b. The **Monitoring Committee** shall consist of: -

(i) A Guide who is an expert in the area in which the Scholar intends to do research and designated as the Chairperson of the MC

(ii) One Senior Faculty member

(iii) at least one expert to be nominated by the Vice Chancellor from a panel of three experts proposed by the Guide.

c. **Functions of the Monitoring Committee:**

(i) To discuss, advice and recommend on all academic matters related to the research undertaken by the Scholar from admission till the award of the degree.

(ii) To review the research proposal and finalize the topic of research.

(iii) To suggest suitable subjects [in the relevant area of research] to be taken up by the Scholar as part of his/her course work.

(iv) To monitor the work of the Scholar periodically and meet at least once in six months.

(v) To supervise the submission of synopsis and thesis by the Scholar to the University

11. Course Work - credit requirements, number and minimum standards for completion.

a. The Credit requirement[15] for the course work is a minimum of 12 credits, including a *Research and Publication Ethics* and a *Research Methodology* course. The Monitoring Committee can also recommend UGC recognized online courses as part of the credit requirements for the M.S (By Research).

b. All the course work must be completed within 18 months from the date of Registration. If the Scholar fails to clear all the course-work related assignments and exams within the prescribed time, the registration shall stand cancelled.

c. The Scholar must obtain a minimum of 55% marks or its equivalent grade in the course work to be eligible to continue in the programme and submit his or her thesis.

12. Evaluation and assessment methods, minimum standards/credits for award of the degree.

a. Upon satisfactory completion of course work and obtaining the marks/grade prescribed in clause 11(c), the Scholar shall be required to undertake research work and produce a thesis.

b. Before submitting the thesis, the Scholar shall make a presentation before the Monitoring Committee of the University, which shall also be open to all faculty members and other research scholars/students.

c. The University shall have a mechanism using well-developed software applications to detect Plagiarism[16] in research work and the research integrity shall be an integral part of all the research activities leading to the award of a M.S. (By Research) degree.

d. The Scholar shall submit the thesis for evaluation[17], along with (a) an undertaking that there is no plagiarism and (b) a certificate from the Guide attesting to the originality of the thesis and that the thesis has not been submitted for the award of any other degree/diploma to any other Higher Educational Institution.

e. The thesis submitted by a M.S. scholar shall be evaluated by at least two external examiners who are experts in the field and not in employment of the University. Such examiner(s) should be an academic or an industry expert with a good record of scholarly publications in the field. The viva-voce board shall consist of the Guide and at least one of the two external examiners. The viva-voce shall be open to the members of the Monitoring Committee, faculty, research scholars and students.

f. The viva-voce of the Scholar to defend the thesis shall be conducted if both the external examiners recommend the acceptance of the thesis after incorporating any corrections suggested by them. If one of the external examiners recommends rejection, University shall send the thesis to an alternate external examiner from the approved panel of examiners and the viva-voce examination shall be held only if the alternate examiner recommends acceptance of the thesis. If the alternate examiner does not recommend acceptance of the thesis, the thesis shall be rejected and the Scholar shall be declared ineligible for the award of a M.S. (By Research) degree.

g. The University shall complete the entire process of evaluating a thesis, including the declaration of the viva-voce result, within a period of six (6) months from the date of submission of the thesis.

13. Issuing a Provisional Certificate: Prior to the actual award of the M.S. (By Research) degree, University shall issue a provisional certificate to the effect that the M.S. (By Research) is being awarded in accordance with the provisions

[15] Guidelines for Course work, allocation of faculty for course work, credits, assessment, Comprehensive Examination, Seminar, Publication, Synopsis & Thesis will be issued with the approval of Vice Chancellor.

[16] Guidelines for level of Acceptance of Plagiarism will be issued with the approval of the Vice Chancellor.

[17] Guidelines for adjudication procedures, panel of examiners, evaluation, re-evaluation, format for recommendation, conduct of public defense and award of M.S. (By Research) degree will be issued with the approval of Vice Chancellor.

of the Ordinance.

14. Publication of the Thesis:

a. A thesis may be published, only with prior permission of the university.

b. Permission for publication of the thesis should be sought after award of the degree. The University may grant permission for the publication of the thesis under such conditions as it may deem fit.

15. Plagiarism

a. In case it is found that a scholar has copied a research work/dissertation/thesis and submitted the same as his/her own work for a M.S (By Research) degree, then the candidate may be liable for such action as prescribed by the University.

b. For the abetment of such an act as mentioned above, the recognition of the Guide shall be liable for such action prescribed by the University.

c. In cases of detection of Plagiarism against an ex-scholar, IMU shall have the right to withdraw the degree awarded by it and initiate action against the Guide.

16. Cancellation of Registration: The registration of the Scholar is liable to be cancelled on account of any of the following reasons:

a. If the Scholar wishes to exit /withdraw from pursuing the M.S (By Research) programme;

b. If the Monitoring Committee finds that the progress of the scholar is not satisfactory despite two consecutive warnings;

c. If the scholar fails to pay the annual fee within prescribed time for continuing the programme;

d. In case, a M.S scholar fails to submit the thesis within the permissible maximum period, the registration shall stand cancelled.

e. If the scholar is found to be involved in any academic malpractice, which may include (but not limited to), fabrication of results, plagiarizing, or other forms of academic dishonesty.

17. Removal of Difficulties: Without prejudice to the generality of the aforesaid regulations, the Board of Research Studies shall have the power, for a period of five years from the date of this Ordinance, to remove any difficulties that may arise either in the course of the transition from the previous Ordinance or in the course of implementing the Ordinance.

Note: The Ordinance 31 of 2018 published in the Gazette No. 62 dated 13.02.2019 is hereby repealed.

K. SARAVANAN, Registrar

[ADVT.-III/4/Exty./296/2023-24]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2023.07.24 19:28:28 +05'30'